

# दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उत्तर प्रदेश

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक  
(परफार्मेन्स बजट)  
वर्ष 2024-25

ज्ञान बढ़े और काम बढ़े  
दिव्यांगजन का मान बढ़े



उत्तर प्रदेश शासन  
लखनऊ



## प्राक्कथन

विभागीय योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों में पारस्परिक सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों का वर्गीकरण करते हुए दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का वर्ष 2024-25 का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक दिव्यांगजन के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

आशा है कि यह समाज के सबसे असहाय, दुर्बल एवं शासकीय सहायता के सर्वाधिक पात्र वर्ग दिव्यांगजन के उत्थान एवं आत्मनिर्भरता से संबंधित योजनाओं को गतिशीलता प्रदान करने के साथ-साथ प्रभावी सिद्ध होगा।

**नरेन्द्र कश्यप**  
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं  
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग



## विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृ.सं.
1.	भूमिका	01-7
2.	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 की संरचना	8
3.	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के मुख्य दायित्व	8
4.	दिव्यांगजनों के पुनर्वासन हेतु मार्च 17 से अब तक किये गये महत्वपूर्ण कार्य/निर्णय	9-10
5.	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम/योजनाएँ।	11-19
6.	नवीन योजनाएँ	19-20
7.	विभाग के कार्यक्रम/योजनाओं हेतु निर्धारित महत्वपूर्ण लक्ष्य	21
8.	वर्ष 2024-25 में प्राविधानित धनराशि का विवरण	22-25
9.	वित्तीय आवश्यकताओं, कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण	26-29
10.	उद्देश्यवार वर्गीकरण	30
11.	वित्तीय संसाधनों के स्रोत	31
12.	विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत/भरे पदों का विवरण	32-37
13.	प्रशासनिक व्यवस्था एवं विभागीय संगठन का चार्ट	38



**दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश**  
**वर्ष 2024-25 का कार्यपूति दिग्दर्शक आय-व्ययक**  
**परफार्मेन्स बजट**

**भूमिका**

भारत की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न दिव्यांगताओ से ग्रसित कुल व्यक्तियों की संख्या 4157514 है। जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.08 प्रतिशत है। प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवासरत दिव्यांग व्यक्तियों का दिव्यांगतावार वर्गीकरण निम्नवत है :-

**जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में श्रेणीवार**  
**दिव्यांगों की संख्या का विवरण**

विवरण		ग्रामीण	शहरी	कुल योग
दिव्यांगजन की कुल जनसंख्या		<b>3166615</b>	<b>990899</b>	<b>4157514</b>
	पुरुष	1803715	560456	2364171
	महिला	1362900	430443	1793343
दृष्टि दिव्यांगता		<b>579182</b>	<b>184806</b>	<b>763988</b>
	पुरुष	307821	100041	407862
	महिला	271361	84765	356126
वाक् दिव्यांगता		<b>202152</b>	<b>64434</b>	<b>266586</b>
	पुरुष	114665	36505	151170
	महिला	87487	27929	115416
श्रवण दिव्यांगता		<b>753704</b>	<b>274131</b>	<b>1027835</b>
	पुरुष	398665	146514	545179
	महिला	355039	127617	482656
अस्थि दिव्यांगता		<b>543203</b>	<b>134510</b>	<b>677713</b>

	पुरुष	355061	86554	441615
	महिला	188142	47956	236098
<b>मानसिक मंदित</b>		<b>140097</b>	<b>41245</b>	<b>181342</b>
	पुरुष	88236	25605	113841
	महिला	51861	15640	67501
<b>मानसिक रूग्ण</b>		<b>57497</b>	<b>19106</b>	<b>76603</b>
	पुरुष	37021	12100	49121
	महिला	20476	7006	27482
<b>अन्य दिव्यांगता</b>		<b>720020</b>	<b>226416</b>	<b>946436</b>
	पुरुष	402738	126226	528964
	महिला	317282	100190	417472
<b>बहु दिव्यांगता</b>		<b>170760</b>	<b>46251</b>	<b>217011</b>
	पुरुष	99508	26911	126419
	महिला	71252	19340	90592

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उ०प्र० के समस्त जनपदों में  
(तत्समय) निवासरत महिला एवं पुरुष दिव्यांगजन की जनसंख्या का  
जनपदवार विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	जनपद	दिव्यांगजन की कुल संख्या		
		कुल	पुरुष	महिला
1	आगरा-	120117	67708	52409
2	मैनपुरी-	33563	19796	13767
3	मथुरा-	51179	30154	21025
4	फिरोजाबाद-	50582	29718	20864
5	अलीगढ़-	75974	43398	32576
6	हाथरस	26547	15661	10886
7	एटा-	31245	18238	13007
8	कासगंज	23771	13745	10026
9	झांसी-	38796	22283	16513
10	ललितपुर-	17985	10413	7572
11	जालौन-	31251	18283	12968
12	हमीरपुर-	19055	11116	7939
13	महोबा-	15681	8955	6726
14	बांदा-	27972	16630	11342
15	चित्रकूट-	15403	8833	6570
16	लखनऊ-	122113	68070	54043
17	रायबरेली-	62230	34855	27375
18	हरदोई-	74082	43818	30264
19	उन्नाव-	63730	36261	27469
20	सीतापुर-	89157	51851	37306
21	खीरी-	71959	41458	30501
22	बरेली-	92300	53187	39113
23	बदायूं-	69688	40796	28892
24	पीलीभीत-	37181	22090	15091
25	शाहजहांपुर-	58073	33730	24343
26	मेरठ-	66225	37888	28337

क्रमांक	जनपद	दिव्यांगजन की कुल संख्या		
		कुल	पुरुष	महिला
27	बागपत-	22265	13158	9107
28	गाजियाबाद-	144305	79869	64436
29	गौतमबुद्ध नगर-	35955	20506	15449
30	बुलन्दशहर-	60925	35133	25792
31	सहारनपुर-	61271	35207	26064
32	मुजफ्फरनगर-	65775	38545	27230
33	मुरादाबाद-	82774	47205	35569
34	अमरोहा-	25873	15134	10739
35	रामपुर-	38210	21766	16444
36	बिजनौर-	61638	35492	26146
37	वाराणसी-	96924	54297	42627
38	चन्दौली-	32051	18602	13449
39	गाजीपुर-	79877	44416	35461
40	जौनपुर-	117683	63170	54513
41	मिर्जापुर-	41840	24247	17593
42	सन्त रविदास नगर-	27755	16145	11610
43	सोनभद्र-	31048	17810	13238
44	गोरखपुर	100730	55913	44817
45	महराजगंज-	61861	34309	27552
46	देवरिया-	71103	39211	31892
47	कुशीनगर-	139672	75176	64496
48	बस्ती-	43484	24084	19400
49	सन्त कबीर नगर-	26997	14993	12004
50	सिद्धार्थनगर-	44168	24477	19691
51	आजमगढ़-	76114	42559	33555
52	मऊ-	38910	21725	17185
53	बलिया-	91847	51016	40831
54	प्रयागराज-	178275	99826	78449
55	कौशाम्बी-	42213	23724	18489
56	फतेहपुर-	55333	32222	23111

क्रमांक	जनपद	दिव्यांगजन की कुल संख्या		
		कुल	पुरुष	महिला
57	प्रतापगढ़—	77912	42326	35586
58	कानपुर नगर—	116292	68633	47659
59	कानपुर देहात	35804	21323	14481
60	फरुखाबाद—	31497	19041	12456
61	कन्नौज—	31308	18692	12616
62	औरध्या—	27645	16701	10944
63	इटावा—	31196	18788	12408
64	अयोध्या—	45767	25671	20096
65	अम्बेडकरनगर—	46580	25864	20716
66	सुल्तानपुर—	72931	40376	32555
67	बाराबंकी—	72256	41381	30875
68	गोण्डा—	62452	35729	26723
69	बलरामपुर—	30500	17573	12927
70	श्रावस्ती	20921	11885	9036
71	बहराईच—	71718	41316	30402
	<b>कुल योग</b>	<b>4157514</b>	<b>2364171</b>	<b>1793343</b>

**नोट:** शामिल, हापुड़, सम्भल, अमेठी, बाद में सृजित होने के कारण पूर्व जनपद में ही दिव्यांगजनों का आगणन सम्मिलित है।

समाज के विशेष रूप से असहाय, निराश्रित सुविधाविहीन दिव्यांग वर्ग के सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा 12 अगस्त, 1995 से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का गठन किया गया है।

# दिव्यांगता की परिभाषा

दिव्यांगजन के समग्र विकास हेतु भारत सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 पारित किया गया, जो 19 मार्च, 2017 से सम्पूर्ण भारत में प्रभावी है। इस अधिनियम में कुल 17 अध्याय एवं 102 धाराएँ हैं। इस अधिनियम की धारा 2(द) में संदर्भित निःशक्त व्यक्ति की परिभाषा निम्नानुसार दी गयी है :-

**2(द) "संदर्भित निःशक्त व्यक्ति":** से प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणीकृत विनिर्दिष्ट निःशक्तता के 40 प्रतिशत से अन्यून का अभिप्रेत है।

उक्त अधिनियम 2016 की धारा 2(यग) में निःशक्तता (दिव्यांगता) की श्रेणियाँ एवं उनकी परिभाषाएँ निम्नानुसार दी गयी हैं :-

## 1- शारीरिक निःशक्तता-

- (अ) गतिविषयक निःशक्तता (व्यक्ति की सुनिश्चित गतिविधियों को करने में असमर्थता जो स्वयं और वस्तुओं के चालन से सहबद्ध हैं जिसका परिणाम पेशीकंकाली और तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है), जिसके अंतर्गत-
- (क) "कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कुष्ठ से रोगमुक्त हो या है किन्तु निम्नलिखित से पीड़ित है -
- I. हाथ या पैरों में सुग्राहीकरण का ह्रास के साथ-साथ आँख और पलक में सुग्राहीकरण का ह्रास और आंशिक घात किन्तु व्यक्ति विरूपता नहीं है;
  - II. व्यक्ति विरूपता और आंशिक घात किन्तु उनके हाथों और पैरों में विनिर्दिष्ट चलन से सामान्य आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम है;
  - III. अत्यंत शारीरिक विकृति के साथ-साथ वृद्धावस्था जो उन्हें कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है और "कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;
- (ख) "प्रमस्तिष्क घात" से कोई अविकासशील अवस्थाओं का समूह अभिप्रेत है जो अविकासशील तंत्रिका दशाओं से शरीर के चलन और पेशियों के समन्वयन को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट चक्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है साधारणतः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत पश्चात् होती है :
- (ग) "बौनापन" से कोई चिकित्सीय या आनुवांशिकी दशा अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की लंबाई चार फिट दस इंच (147 सेमी) या उससे न्यून रह जाती है;
- (घ) "बहुदुःशोषण" से वंशानुगत, आनुवांशिक पेशी रोग का समूह अभिप्रेत है जो मानव शरीर को संचल करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुःशोषण के रोगी व्यक्तियों के जीवन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है जिसकी उन्हें स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यकता होती है, इसकी विशेषता अनुक्रमिक अस्थिपंजर, पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटि और पेशी कोशिकाओं और टिशुओं की मृत्यु है।
- (ङ) "अम्ल आक्रमण पीड़ित" से अम्ल या समान संक्षारित पदार्थ के फेंकने द्वारा हिंसक आक्रमण के कारण विरूपित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

## (आ) दृष्टिगत ह्रास -

- (क) "अंधता" से ऐसी दशा अभिप्रेत है जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात् व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है, -
- I. दृष्टि का पूर्णतया अभाव;
  - II. सर्वोत्तम सुधार के साथ अच्छी आँख दृष्टि संवेदनशील 3/60 या 10/200 (स्नेलन) से अन्यून; या
  - III. 10 डिग्री से अन्यून किसी कक्षांतरित कोण पर दृश्य क्षेत्र की परिसीमा;
- (ख) "निम्न दृष्टि" से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात्, -
- I. बेहतर आँख में सुधारकारी लेंसों के साथ-साथ 6/18 से अनधिक या 20/60 से कम 3/60 तक या 10/200 (स्नेहल) दृश्य संवेदनशीलता; या
  - II. 10 से अधिक 40 डिग्री तक की दृष्टि अंतरित किसी कोण के क्षेत्र में सीमाएँ।
- (इ) "श्रवण शक्ति का ह्रास" -
- (क) "बधिर" से दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों से 70 डिसबिल श्रव्य ह्रास वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ख) "ऊँचा सुनने वाला व्यक्ति" से दोनों कानों से संवाद आवृत्ति में 60 डिसबिल से 70 डिसबिल श्रव्य ह्रास व्यक्ति अभिप्रेत है;

- (ई) “अभिवाक् और भाषा निःशक्तता” से लेराइनजेक्टोमी या अफेलिया जैसी स्थितियों से उद्भूत स्थायी निःशक्तता अभिप्रेत है जो कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों के कारण अभिवाक् और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।
- 2— “बौद्धिक निःशक्तता” से ऐसी स्थिति, जिसकी विशेषता दोनों बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या समाधान) और अनुकूलन व्यवहार में महत्वपूर्ण रूप से कमी होना है, जिसके अन्तर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहार्य की रेंज है, जिसके अन्तर्गत —
- (क) “विनिर्दिष्ट विद्या निःशक्तता” से स्थितियों का एक ऐसा विजातीय समूह अभिप्रेत है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने का प्रसंस्करण करने की कमी विद्यमान होती है जो बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनीय या गणितीय गणनाओं को समझने में कमी के रूप में सामने आती है इसके अन्तर्गत बोधक निःशक्तता डायसेलेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकेलकुलिया, डायसप्रेसिया और विकासात्मक अफेसिया भी है;
- (ख) “स्वलीनता स्फक्द्रम विकार” से एक ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति अभिप्रेत है जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को प्रभावित करती है और आमतौर पर यह अप्रायिक या घिसे-पिटे कर्मकांडों या व्यवहार से सहबद्ध होता है।
- 3— **मानसिक व्यवहार—**
- “मानसिक रूग्णता” से चिंतन, मनोदशा, बोध, पूर्वभिमुखीकरण या स्मरणशक्ति का विकार अभिप्रेत है जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किन्तु जिसके अन्तर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रुकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्टता बुद्धिमता का समान्य से कम होना है।
- 4— **निम्नलिखित के कारण निःशक्तता—**
- (क) चिरकारी तंत्रिका दशाएं, जैसे—
- I. “बहु-स्केलेरोसिस” से प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग अभिप्रेत है जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर रीढ़ की हड्डी की मायलिन सीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमायीलिनेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक-दूसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है;
- II. “पार्किंसन रोग” से कोई तंत्रिका प्रणाली का प्रगामी रोग अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कम्प, पेशी, कठोरता, और धीमा, कठिन चलन, मुख्यतया मध्य आयु और वृद्ध व्यक्तियों से संबंध मस्तिष्क के आधारीय गंडिका के अद्यपतन तथा तंत्रिका संचालन डोपामई के ह्रास से संबद्ध हो।
- (ख) रक्त विकृति—
- I. “हेमोफीलिया” से एक आनुवंशकीय रोग अभिप्रेत है जो प्रायः पुरुषों को ही प्रभावित करता है किन्तु इसे महिला द्वारा अपने पुरुष बालकों को संप्रेषित किया जाता है, इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है जिससे गौण घाव का परिणाम भी घातक रक्तस्राव हो सकता है।
- II. “थेलेसीमिया” से वंशानुगत विकृतियों का एक समूह अभिप्रेत है जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति है।
- III. “सिक्कल कोशिका रोग” से होमोलेटिक विकास अभिप्रेत है जो रक्त की अत्यंत कमी, पीड़ादायक घटनाओं और जो सहबद्ध टिशुओं और अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है। “हेमोलेटिक” लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है:
- 5— बहुनिःशक्तता (उपर्युक्त एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट निःशक्तता) जिसके अन्तर्गत बधिरता, अंधता जिससे कोई दशा जिसमें कोई व्यक्ति श्रव्य और दृश्य के सम्मिलित ह्रास के कारण गम्भीर संप्रेषण, विकास और शिक्षण संबंधी गम्भीर दशाएँ अभिप्रेत हैं।
- 6— कोई अन्य प्रवर्ग जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएँ।

# दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश की संरचना

समाज के असहाय, सुविधाविहीन एवं कमजोर वित्तीय स्थिति वाले दिव्यांग व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास एवं उनके लाभ तथा सहायता के लिए बनाई गयी योजनाओं के सुचारु संचालन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 12 अगस्त, 1995 को अलग से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का गठन किया गया जिसके अन्तर्गत शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अनुसचिव के पद तथा 3 अनुभाग सृजित हैं।

विभाग के अधीन दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग निदेशालय कार्यरत है जिसमें निदेशक का एक पद तथा संयुक्त निदेशक के चार पद तथा मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी का एक पद सृजित है।

उपनिदेशक के 20 पद – उपनिदेशक के 2 पद मुख्यालय स्तर तथा 18 पद मण्डल स्तर (प्रदेश के समव्यक हेतु) में सृजित हैं तथा 75 जनपदों में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद सृजित हैं।

विभाग में सृजित एवं भरे पदों के विवरण हेतु परिशिष्ट 'क' तथा प्रशासनिक व्यवस्था हेतु विभागीय संगठन का चार्ट परिशिष्ट 'ख' अवलोकनीय है।

## दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के मुख्य दायित्व

विभाग के उद्देश्य एवं कार्य –

1. दिव्यांगजन के सम्बंध में नीति का निर्धारण करना एवं प्रभावशाली क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
2. योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजन का भौतिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पुनर्वास कर समाज की मुख्य धारा में शामिल करना।
3. दिव्यांगजन विकास के संबंध में निर्धारित राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों, संस्थाओं, के साथ समन्वय कर प्रदेश में प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
4. दिव्यांगजनों के विकास संबंधी कार्य हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ साथ गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।
5. सेवाओं में दिव्यांगजन का आरक्षण एवं उनके सेवायोजन का पर्यवेक्षण करना आदि।

# दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं के अन्तर्गत महत्वपूर्ण कार्य /उपलब्धियाँ

## दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 27.12.2016 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 निर्गत किया गया है, जो सम्पूर्ण भारत वर्ष में लागू है। उक्त अधिनियम की धारा 101 में विहित व्यवस्थानुसार उ०प्र० राज्य की अधिसूचना दिनांक 28.12.2017 द्वारा उ०प्र० दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 निर्गत की गयी है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 तथा उ०प्र० दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 में दिव्यांगजन को प्रदत्त विभिन्न अधिकारों के संरक्षण हेतु दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।  
क-सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वासन

- दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना :-** योजनान्तर्गत पूर्व में रू० 300 /- प्रति माह प्रति व्यक्ति की दर से अनुदान प्रदान किया जाता था, जिसे सरकार द्वारा दिनांक अप्रैल, 2017 से बढ़ा कर रू० 500/- व दिसम्बर, 2021 से पुनः बढ़ा कर रू० 1000 /- प्रति माह प्रति लाभार्थी कर दिया गया है।
  - योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल प्राविधानित धनराशि रू० 134295.48 लाख के सापेक्ष रू० 119320.19 लाख की धनराशि का व्यय करते हुए प्रदेश के कुल 9,64,620 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया है।
  - योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अद्यतन कुल प्राविधानित धनराशि रू० 112004.69 लाख के सापेक्ष माह जनवरी तक रू० 92976.31 लाख की धनराशि का व्यय करते हुए प्रदेश के कुल 10,40,823 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया है।
- कुष्ठावस्था पेंशन योजना:-** कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए दिव्यांगजन को रू० 2500 /- प्रति माह की दर को बढ़ाते हुए दिसम्बर, 2021 से रू० 3000 /- प्रति माह किया गया है।
  - योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल प्राविधानित धनराशि रू० 4215.96 लाख के सापेक्ष रू० 4082.67 लाख की धनराशि का व्यय करते हुए प्रदेश के कुल 11,257 कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगता से ग्रसित दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया है।
  - योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अद्यतन कुल प्राविधानित धनराशि रू० 4200.00 लाख के सापेक्ष माह जनवरी तक रू० 3160.05 लाख की धनराशि का व्यय करते हुए प्रदेश के कुल 11,671 कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगता से ग्रसित दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया है।
- दिव्यांगजन से शादी करने पर पुरस्कार :** शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांग दम्पति में से युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू० 15,000 /- युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू० 20000 /- तथा युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू० 35,000 /- की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है।
  - योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल प्राविधानित धनराशि रू० 264.00 लाख के सापेक्ष रू० 110.00 लाख की धनराशि का व्यय करते हुए प्रदेश के कुल 420 दिव्यांग दम्पति लाभान्वित किये गये।
  - योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अद्यतन कुल प्राविधानित धनराशि रू० 264.00 लाख के सापेक्ष माह जनवरी तक रू० 132.70 लाख की धनराशि का व्यय करते हुए प्रदेश के कुल 534 दिव्यांग दम्पति लाभान्वित किये गये।
- दुकान निर्माण/संचालन योजना रूदुकान निर्माण :** संचालन योजना के अंतर्गत न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन को दुकान निर्माण हेतु रू० 20,000 /- एवं दुकान/खोखा/गुमटी/हाथ ठेला संचालन हेतु रू० 10,000 /- की धनराशि प्रदान की जाती है।

- योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल प्राविधानित धनराशि रू0 106.04 लाख के सापेक्ष रू0 104.70 लाख की धनराशि का व्यय करते हुए प्रदेश के कुल 1,008 दिव्यांगजन लाभान्वित किये गये हैं।
  - योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में अद्यतन कुल प्राविधानित धनराशि रू0 106.04 लाख के सापेक्ष माह जनवरी तक रू0 75.50 लाख की धनराशि का व्यय करते हुए प्रदेश के कुल 755 दिव्यांगजन लाभान्वित किये गये हैं।
5. **उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा योजना:**— सरकार द्वारा दिव्यांगजन को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों में उनके अन्तिम गन्तव्य स्थल तक (चाहे वह राज्य की सीमा से बाहर ही क्यों न हो) किये जाने का शासनादेश दिनांक 21 जून, 2019 को जारी कर दिया गया।
- योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल प्राविधानित धनराशि रू0 4000.00 लाख के सापेक्ष उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को दिव्यांगजन द्वारा की गयी यात्राओं हेतु कुल धनराशि रू0 3219.74 लाख का भुगतान किया गया।
  - योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल प्राविधानित धनराशि रू0 4000.00 लाख के सापेक्ष उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को दिव्यांगजन द्वारा की गयी यात्राओं हेतु माह जनवरी तक कुल धनराशि रू0 2959.91 लाख का भुगतान किया गया है।
6. **राज्य स्तरीय पुरस्कार :** सरकार विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगजन के सशक्तीकरण व बेहतरी के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति, संस्था या स्वयं दिव्यांगजन को उनके द्वारा किये गये सराहनीय कार्यों के लिये प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 से 02 श्रेणियों के स्थान पर 12 श्रेणियों के अन्तर्गत 30 उपश्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तथा पुरस्कार की धनराशि रू0 5000 /— से बढ़ाकर रू0 25000 /— कर दी गयी है।
- “विश्व दिव्यांग दिवस” 03 दिसम्बर, 2023 के अवसर पर 21 दिव्यांग व्यक्तियों / संस्थाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
7. **विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यू०डी०आई०डी० ) योजना :** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा विकसित व संचालित पोर्टल <http://www.swavlambancard.gov.in> के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से प्रदेश के समस्त दिव्यांगजन को निर्धारित प्रारूप पर दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाते हैं, जिसके आधार पर विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यू०डी०आई०डी० कार्ड) बनाये जा रहे हैं।
- वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह नवम्बर 2023 तक 02 लाख नवीन यू०डी०आई०डी० कार्ड निर्गत किये जाने का लक्ष्य निर्धारण करते हुये जनपदों को लक्ष्य का आवंटन किया गया।
  - जिसके सापेक्ष कुल 209937 यू०डी०आई०डी० कार्ड निर्गत किये गये। प्रदेश में अब तक कुल 12,53,723 यू०डी०आई०डी० कार्ड निर्गत किये जा चुके हैं। माह जनवरी, 2024 में अब तक कुल 16722 यू०डी०आई०डी० कार्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से निर्गत किये गये हैं।
8. **प्रदर्शनियाँ :** “विश्व दिव्यांग दिवस” 03 दिसम्बर, 2023 के अवसर पर डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ के अटल ऑडिटोरियम में 08 राजकीय विद्यालयों एवं दिव्यांगजन के हितार्थ कार्य कर रही 05 स्वैच्छिक संस्थाओं के दिव्यांगजन द्वारा हस्त निर्मित साज-सज्जा / दैनिक उपयोग सामग्री प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय दिव्यांगता के क्षेत्र में जन जागरूकता हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये दिव्यांगजन द्वारा बनाये गये चित्रों, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिये गोरखपुर में दिव्यकला एवं कौशल प्रदर्शनी के नाम से 03 द्विवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया।

## 9. विभागीय अभिमुखीकरण कार्यशाला

माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 10.10.2023 को डा०शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वासन विश्वविद्यालय, लखनऊ परिसर स्थित सभागार में विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों के सुगमतापूर्वक क्रियान्वयन एवं नवप्रयोग के सम्बन्ध में विभागीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन कर विभागीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया।

### ख-चिकित्सकीय एवं भौतिक पुनर्वासन

- कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना :-** दिव्यांगजन को अधिकतम अनुदान रू0 8,000/- से बढ़ा कर फरवरी, 2019 से रू0 10,000/- कर दिया गया है। शासन द्वारा फरवरी, 2018 से दिव्यांगजन को सहायक उपकरणों के साथ-साथ 'कृत्रिम अंग' भी देने की व्यवस्था की गयी है।
  - योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल प्राविधानित धनराशि रू0 3740.00 लाख के सापेक्ष रू0 3451.63 लाख की धनराशि का व्यय करते हुए प्रदेश के कुल 49, 111 दिव्यांगजन लाभान्वित किये गये हैं।
  - योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अद्यतन कुल प्राविधानित धनराशि रू0 3740.00 लाख के सापेक्ष माह जनवरी तक रू0 729.86 लाख की धनराशि का व्यय करते हुए प्रदेश के कुल 10,229 कृत्रिम अंग/सहायक उपकरणों का वितरण किया गया है।
- मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल योजना :** मा० मुख्यमंत्री जी की कृत घोषणा के क्रम में प्रदेश के प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में वितरण हेतु 100-100 मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल की उपलब्धता जनपदों में सुनिश्चित करायी गयी, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में दिव्यांगजन को कुल 8,000 मोटराइज्ड ट्राइसाइकिलों का वितरण किया गया है।
- शल्य चिकित्सा अनुदान योजना :-** प्रति लाभार्थी अनुमन्य अधिकतम रू0 8000/- की अनुदान दर में वृद्धि करते हुए सरकार द्वारा जुलाई, 2017 सेरूपये 10,000/- प्रति लाभार्थी किया गया है। कॉक्लियर इम्प्लाण्ट हेतु अनुदान की धनराशि प्रति लाभार्थी प्रति इम्प्लाण्ट रू0 6.00 लाख निर्धारित की गयी है।
  - योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल प्राविधानित धनराशि रू0 640.00 लाख के सापेक्ष 621.00 लाख की धनराशि का व्यय करते हुए प्रदेश के कुल 100 दिव्यांगजन की करेक्टिव सर्जरी एवं कुल 100 श्रवण बाधित बच्चों की कॉक्लियर इम्प्लाण्ट सर्जरी कराई गयी।
  - योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अद्यतन कुल प्राविधानित धनराशि रू0 750.00 लाख के सापेक्ष माह जनवरी तक रू0 733.33 लाख की धनराशि का व्यय करते हुए प्रदेश के कुल 41 दिव्यांगजन की करेक्टिव सर्जरी एवं कुल 115 श्रवण बाधित बच्चों की कॉक्लियर इम्प्लाण्ट सर्जरी कराई गयी।
- जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डी०डी०आर०सी०) :** जनपद स्तर पर आवश्यक बुनियादी ढाँचे का निर्माण कर दिव्यांगजन को व्यापक पुनर्वासन सेवाएँ उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गयी है।
- मानसिक मंदित आश्रयगृह सह प्रशिक्षण केन्द्र :** आश्रयहीन मानसिक दिव्यांगजन को कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हों या सड़कों अथवा सार्वजनिक स्थानों पर विक्षिप्त अवस्था में भटक रहे हों उनके लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र, दैनिक दिनचर्या एवं देखभाल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा राजकीय मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में जनपद बरेली (महिला), मेरठ (पुरुष) एवं गोरखपुर (पुरुष) में राजकीय मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं। इन केन्द्रों की आवासीय क्षमता 50-50 है।
- उत्तर प्रदेश में मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रयगृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन तथा मानसिक चिकित्सालय/आश्रय गृह से उपचारित एवं ठीक हुए बेघर व्यक्तियों के लिए हाफ वे होम/लांग स्टे होम के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान योजना :** उ०प्र० के निराश्रित मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण व्यक्तियों के आर्थिक एवं सामाजिक

उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए शासकीय कार्यक्रमों के साथ स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें आर्थिक सहयोग दिये जाने की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अनुदान योजना का संचालन किया गया है। योजनान्तर्गत विभाग द्वारा 22 स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न जनपदों में मानसिक मंदित आश्रयगृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।

- **सुगम्य भारत अभियान योजना** सुगम्य भारत अभियान योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को जीवन के सभी क्षेत्र में भागीदारी करने के लिए समान अवसर एवं आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। सुगम्य भारत अभियान सुगम्य भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार पारिस्थिति की तंत्र विकसित करने पर केन्द्रित है।
- सुगम्य भारत अभियान फेज-1 के अन्तर्गत राज्य के 06 जनपद यथा- लखनऊ, कानपुर नगर, झांसी, वाराणसी, आगरा एवं नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) के 139 भवनों को चिन्हित किया गया। उक्त 06 जनपदों के 139 भवनों में से 89 भवनों दिव्यांगजन हितैषी बनाया जा चुका है।
- सुगम्य भारत अभियान फेज-2 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 68 भवनों को चिन्हित किया गया है। उक्त चिन्हित 68 भवनों में से 20 भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाया जा चुका है।
- सुगम्य भारत अभियान फेज-3 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 10 प्रमुख जनपद यथा- मथुरा, प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, मेरठ, अयोध्या आजमगढ़ एवं गोरखपुर के 508 भवनों को चिन्हित किया गया है। उक्त 10 जनपदों के कुल 508 भवनों की एक्सिस ऑडिट की कार्यवाही को संस्था द्वारा पूर्ण कर लिया गया है।

### ग-शैक्षणिक पुनर्वासन

1. **बचपन डे केयर सेन्टर्स** : 03 से 07 वर्ष के श्रवणबाधित, मानसिक प्री-स्कूल रेडीनेस हेतु 18 मण्डलीय जनपदों में बचपन डे केयर संचालित 18 बचपन डे-केयर सेन्टर्स को संचालन की गुणवत्ता व प्रबन्धन के लिए आई0एस0ओ09001 : 2015 प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है।
2. **दिव्यांगजन हेतु विशेष विद्यालयों का संचालन** : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजन हेतु विशेष विद्यालय - 'प्रयास' (शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिये राजकीय विद्यालय- हाईस्कूल स्तर),
3. **'संकेत'** (राजकीय मूक बधिर विद्यालय - जूनियर हाईस्कूल), **'ममता'** (मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों/बालिकाओं का राजकीय विद्यालय) तथा **'स्पर्श'** (राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय) का संचालन किया जा रहा है, जिनमें वर्तमान में कुल **1,574 छात्र/छात्रायें** अध्ययनरत हैं।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अधीन जनपद बरेली, मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी में स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित (बालक) विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय महाराजगंज, आजमगढ़, बलिया, संकेत मूकबधिर इण्टर कालेज सोनभद्र, कुशीनगर, गोरखपुर के संचालनार्थ कुल 274 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित समस्त 16 विशेष विद्यालयों को अपने उच्च स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण व्यवस्था सहित कैम्पस की उच्च स्तर की प्रबन्ध प्रणाली के लिए आई0एस0ओ0 9001रू 2015 प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है तथा इन विशेष विद्यालयों में गुणवत्त परक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से स्मार्ट क्लासेज की व्यवस्था की गयी है। इसके साथ ही 5 समेकित विद्यालयों का विभाग द्वारा संचालन किया जा रहा है।

4. **डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (लखनऊ)** : दिव्यांगजन की उच्च शिक्षा को सुगम बनाने के दृष्टिगत जनपद लखनऊ में डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय संचालित है, जहाँ समस्त पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत सीटें दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 4,696 छात्र/छात्रायें अध्ययनरत हैं।

5. **जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय (चित्रकूट)** : दिव्यांगजन की उच्च शिक्षा को सुगम बनाने के दृष्टिगत जनपद चित्रकूट में जगद्गुरु रामभद्राचार्यदिव्यांग विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय के रूप में दिनांक— 31.01.2023 को प्रतिस्थापित किया गया। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय तथा शासन के मध्य दिनांक 31.01.2023 को एम०ओ०यू० हस्ताक्षरित किया गया एवं विश्वविद्यालय हेतु नवीन अधिनियम प्रख्यापित किया जा चुका है। विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत सीटें दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 1,642 छात्र/छात्रायें अध्ययनरत हैं।
6. **ब्रेल प्रेस** : प्रदेश में दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं के पठन-पाठन हेतु ब्रेललिपि में पुस्तकों को प्रकाशित करने हेतु ब्रेल प्रेस की स्थापना की गयी है। इस ब्रेल प्रेस में विभाग द्वारा संचालित दृष्टिबाधित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के पठन पाठन हेतु विभिन्न विषयों से सम्बन्धित पुस्तकों को ब्रेल लिपि में प्रकाशित कराया जाता है। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा राजकीय ब्रेल प्रेस, लखनऊ को उत्कृष्ट ब्रेल प्रेस को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है।
7. दिव्यांगजन को उच्च कोटि के गुणवत्तापरक कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने हेतु कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के परिसर में की गई है। जिसमें स्नातक (बी०पी०ओ०) एवं स्नातकोत्तर (एम०पी०ओ०) पाठ्यक्रम संचालित है।
8. दिव्यांगजन को खेलने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के परिसर में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विशिष्ट स्टेडियम का निर्माण हुआ है, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेल संबंधी सुविधाएं उपलब्ध है।

**घ— दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० को सामाजिक न्याय एवं**

**अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय पुरस्कार**

1. राजकीय ब्रेल प्रेस को उत्कृष्ट ब्रेल प्रेस का राष्ट्रीय पुरस्कार (वर्ष 2018 )
2. जनपद लखनऊ को पुनर्वास योजनाओं को प्रभावी ढंग से संचालन हेतु उत्कृष्ट जनपद का राष्ट्रीय पुरस्कार (वर्ष 2018)
3. सुगम भारत अभियान के कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार (वर्ष 2019)
4. विभाग की वेबसाइट [www.uphwd.gov.in](http://www.uphwd.gov.in) को सर्वश्रेष्ठ सुगम्य वेबसाइट का पुरस्कार (वर्ष 2019 )
5. जनपद वाराणसी को पुनर्वास योजनाओं को प्रभावी ढंग से संचालन हेतु उत्कृष्ट जनपद का राष्ट्रीय पुरस्कार (वर्ष 2019)

## दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम/योजनाएँ

### 1— संकेत (राजकीय मूक बधिर विद्यालय) लखनऊ, आगरा, बरेली, फर्रुखाबाद, गोरखपुर :

लखनऊ, बरेली, फर्रुखाबाद, आगरा, गोरखपुर में एक-एक विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में श्रवण यंत्र की सहायता से छात्रों को शिक्षा दिये जाने के साथ-साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। लखनऊ, बरेली तथा फर्रुखाबाद में जूनियर हाईस्कूल स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। बरेली में आवासीय छात्र संख्या 120 तथा अनावासीय छात्र संख्या 220 (कुल 340) है। फर्रुखाबाद की आवासीय छात्र क्षमता -60 तथा अनावासीय छात्र क्षमता-40 है (कुल 100) तथा लखनऊ की आवासीय क्षमता 100 छात्र की है। आगरा एवं गोरखपुर में हाईस्कूल स्तर तक की शिक्षा देने की व्यवस्था है। आगरा की आवासीय छात्र की क्षमता 50 तथा अनावासीय छात्र क्षमता 100 (कुल 150) तथा गोरखपुर में आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है अनावासीय छात्र क्षमता 100 है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को जिनके अभिभावकों की मासिक आय रू० 1000/- तक होती है, उन छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ-साथ रू० 2000/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति/छात्रवेतन दिया जाता है। इन विद्यालयों की स्वीकृत छात्र क्षमता निम्नवत है—

विद्यालयों की संख्या	आवासीय / अनावसीय	स्वीकृत क्षमता
05	आवासीय	330
	अनावसीय	460
	योग	790

### 2— स्पर्श(बालक / बालिकाओं के लिये राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय)लखनऊ, गोरखपुर, बाँदा, सहारनपुर, मेरठ

लखनऊ/गोरखपुर में बालकों/बालिकाओं के लिए एक-एक, बाँदा एवं मेरठ में बालकों हेतु एक-एक इण्टर कालेज संचालित हैं। इन विद्यालयों की आवासीय छात्र क्षमता 200-200 है तथा अन्य 04 विद्यालयों की आवासीय क्षमता 100-100 है अनावासीय छात्र क्षमता 25-25 है। जनपद सहारनपुर में बालिकाओं हेतु हाईस्कूल स्तर तक का विद्यालय संचालित है, जिसकी आवासीय छात्र क्षमता 75 तथा अनावासीय छात्र क्षमता 25 है। इन विद्यालयों में ब्रेल पद्धति के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावकों की मासिक आय रू० 1000/-होती है, उन छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ-साथ प्रति छात्र/छात्रा रू० 2000/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति/छात्रवेतन दिया जाता है, तथा अनावसीय छात्र/छात्राओं को घर से विद्यालय तक आने जाने हेतु निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इन विद्यालयों में स्वीकृत छात्र क्षमता निम्नवत् है :

विद्यालयों की संख्या	आवासीय / अनावसीय	स्वीकृत क्षमता
07	आवासीय	875
	अनावसीय	175
	योग	1050

### 3. ममता (मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों/बालिकाओं का राजकीय विद्यालय) लखनऊ तथा प्रयागराज।

प्रदेश में मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों/बालिकाओं के लिए एक-एक विद्यालय क्रमशः लखनऊ तथा प्रयागराज में संचालित है। इन विद्यालयों में बालकों एवं बालिकाओं को मनोवैज्ञानिक पद्धति से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रत्येक विद्यालय की आवासीय छात्र क्षमता 50-50 है। इन विद्यालयों में संवासियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने की दृष्टि से व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जिन संवासियों के अभिभावकों की मासिक आय ₹ 1000/- प्रतिमाह तक है उनके भरण पोषण पर शासन द्वारा 2000/- ₹ 0 प्रति माह प्रति संवासी की दर से व्यय किया जाता है। विद्यालयों में स्वीकृत छात्र क्षमता निम्नवत है :

विद्यालयों की संख्या	आवासीय / अनावसीय	स्वीकृत क्षमता
02	आवासीय	100
	अनावसीय	0
	योग	100

### 4. प्रयास (शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिये राजकीय विद्यालय) लखनऊ, प्रतापगढ़-

शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिये प्रतापगढ़ तथा लखनऊ में एक-एक विद्यालय संचालित है। प्रत्येक विद्यालय की छात्र क्षमता 50-50 बालकों की है। इन विद्यालयों में हाईस्कूल स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों जिनके अभिभावकों की मासिक आय ₹ 1000/- तक होती है उनको आवासीय सुविधा के साथ भरण पोषण हेतु ₹ 2000/- प्रतिमाह प्रति छात्र दिया जाता है। इन विद्यालयों में स्वीकृत छात्र क्षमता निम्नवत है :

विद्यालयों की संख्या	आवासीय / अनावसीय	स्वीकृत क्षमता
02	आवासीय	100
	अनावसीय	0
	योग	100

**5. समेकित विद्यालयों की स्थापना वित्तीय वर्ष 2023–24 में 05 समेकित विद्यालयों (प्रयागराज, लखनऊ, औरैया, आजमगढ़ एवं कन्नौज) का संचालन प्रारम्भ किया गया है।**

वित्तीय वर्ष 2023–24 में समेकित विद्यालयों के निर्माण हेतु कुल रू0 2923.70 लाख का प्राविधान के सापेक्ष माह जनवरी 2024 तक कुल रू0 1535.54 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में रू0 3560.00 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

**6. उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावासों का संचालन लखनऊ गोरखपुर, प्रयागराज एवं मेरठ।**

दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्र से इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, के दृष्टिकोण से उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने के समय आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ/गोरखपुर में छात्र/छात्राओं हेतु एक-एक, प्रयागराज/मेरठ में छात्रों हेतु एक-एक कुल छः छात्रावासों की स्थापना की गयी है। प्रत्येक छात्रावास की स्वीकृत क्षमता 200–200 है। उक्त छात्रावासों के संचालन हेतु नियमावली का प्रख्यापन शासन द्वारा किया जा चुका है।

विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिए उक्त 16 विद्यालयों माह नवम्बर तक एवं उनके छात्रावासों के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल रू0 4363.40 लाख के प्राविधान के सापेक्ष माह जनवरी, 2024 तक कुल रू0 1990.49 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में रू 4788.50 लाख का प्राविधान है।

**7. कौशल विकास केन्द्र (दृष्टिबाधितों के लिये राजकीय कर्मशाला) लखनऊ गोरखपुर तथा बॉदा—**

दृष्टिबाधित बेरोजगार व्यक्तियों को कार्य उपलब्ध कराने एवं विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से लखनऊ, गोरखपुर तथा बॉदा में एक-एक कर्मशाला संचालित है। लखनऊ तथा गोरखपुर कर्मशाला में स्वीकृत आवासीय संवासी क्षमता 50–50 तथा अनावसीय संवासी क्षमता 50–50 है। बॉदा में आवासीय संवासी स्वीकृत क्षमता 50 तथा अनावसीय क्षमता 25 है। इन कर्मशालाओं में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को वर्क आर्डर के आधार पर कुर्सी बुनाई आदि का कार्य अन्य कार्यालयों में उपलब्ध कराया जाता है जिसके लिये उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है। इसके साथ ही डिजाइनर मोमबत्तियों, कम्प्यूटर आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इन कर्मशालाओं में स्वीकृत क्षमता निम्नवत् है:—

कर्मशालाओं की संख्या	आवासीय / अनावसीय	स्वीकृत क्षमता
03	आवासीय	150
	अनावसीय	125
	योग	275

## 8. कौशल विकास केन्द्र(शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिये राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र) वाराणसी, प्रयागराज, उन्नाव –

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों/दिव्यांगों को प्रशिक्षण दिये जाने के उद्देश्य से संचालित कर्मशाला मिर्जापुर से स्थानान्तरित होकर जनपद वाराणसी में संचालित है। इस कर्मशाला में आवासीय संवासियों की क्षमता 60 तथा अनावासीय संवासियों की क्षमता 40 (कुल 100) है। इन संवासियों को आवासीय सुविधा के साथ-साथ रू0 2000/- प्रतिमाह प्रति संवासी की दर से धनराशि भरण पोषण हेतु प्रदान की जाती है। इस कर्मशाला में दिव्यांग व्यक्तियों को कुर्सी बुनाई, सिलाई एवं मोमबत्ती आदि बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रयागराज एवं उन्नाव में 50 आवासीय एवं 50 अनावासीय एवं वाराणसी में 60 आवासीय एवं 40 अनावासीय संवासियों की क्षमता है।

## 9. कौशल विकास केन्द्र (मूक-बधिरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रित कर्मशाला) आगरा :-

जनपद आगरा में मूक बधिरों के लिये एक व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रित कर्मशाला स्थापित है। जिसमें आवासीय संवासियों की क्षमता 25 तथा अनावासीय संवासियों की स्वीकृत क्षमता 25 (कुल 50) है। इन संवासियों को रू0 2000/- प्रतिमाह प्रति संवासी की दर से धनराशि भरण पोषण हेतु प्रदान की जाती है। इस केन्द्र में कुर्सी बुनाई, सिलाई एवं मोमबत्ती का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कर्मशाला में संवासियों की स्वीकृत क्षमता निम्नवत् है:-

कर्मशालाओं की संख्या	आवासीय / अनावसीय	स्वीकृत क्षमता
01	आवासीय	25
	अनावसीय	25
	योग	50

दिव्यांग कर्मशालाओं के संचालन पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित धनराशि कुल रू0 163.53 लाख के सापेक्ष माह जनवरी तक कुल रू0 58.89 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 168.08 लाख का प्राविधान है।

## 10- बहुउद्देशीय कौशल विकास केन्द्र मुरादाबाद एवं मेरठ :-

सभी श्रेणी के दिव्यांगजन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये मुरादाबाद एवं मेरठ जनपद में एक-एक बहुउद्देशीय कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों की स्वीकृत क्षमता 50-50 (कुल 100 है) जिसमें सभी श्रेणी के दिव्यांगजन को बाजार की माँग के अनुरूप अल्प अवधि के विभिन्न व्यावसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार प्रारम्भ करने योग्य बनाया जाता है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कुल रू0 31.01 लाख के प्राविधान के सापेक्ष माह जनवरी 2024 तक कुल रू0 24.23 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 31.51 लाख का प्राविधान है।

इन बहुउद्देशीय कौशल विकास केन्द्रों की स्वीकृत क्षमता निम्नानुसार है:-

कर्मशालाओं की संख्या	आवासीय / अनावसीय	स्वीकृत क्षमता
02	आवासीय	0
	अनावसीय	100
	<b>योग</b>	<b>100</b>

### 11. निराश्रित मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र बरेली, गोरखपुर एवं मेरठ :-

प्रदेश के निराश्रित मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र बरेली में महिलाओं हेतु तथा गोरखपुर एवं मेरठ में पुरुषों हेतु एक-एक आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों की आवासीय क्षमता 50-50 है। इन केन्द्रों में मानसिक मंदित दिव्यांगजन को प्रवेश देकर उनको आश्रय प्रदान किये जाने के साथ साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वावलम्बी बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। जिनके संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कुल रू0 221.67 लाख का प्राविधान के सापेक्ष माह जनवरी 2024 तक कुल रू0 125.31 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 334.31 लाख का प्राविधान है।

कर्मशालाओं की संख्या	आवासीय / अनावसीय	स्वीकृत क्षमता
03	आवासीय	150
	अनावसीय	0
	<b>योग</b>	<b>150</b>

### 12. अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग सशक्तीकरण संस्थान वाराणसी का संचालन:-

इस संस्थान में सभी श्रेणी के दिव्यांगजन हेतु जनपद वाराणसी में अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग सशक्तीकरण संस्थान संचालित है इस संस्थान में मानसिक मंदित दिव्यांगजन को आवासीय सुविधा के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलम्बी बनाये जाने का कार्य प्रदान किया जाता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल रू0 77.60 लाख के प्राविधान के सापेक्ष माह जनवरी 2024 तक कुल रू0 31.37 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 54.60 लाख का प्राविधान है।

### 13. मनोविकास केन्द्र, गोरखपुर :-

गोरखपुर मण्डल में जापानी इन्सेफलाइटिस से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु जनपद गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के आरोग्य भवन में मनोविकास केन्द्र संचालित है। इस मनोविकास केन्द्र में जापानी इन्सेफलाइटिस से ग्रसित दिव्यांगजन को आई0क्यू0 असेसमेन्ट, आक्यूपेशनलथिरेपी यूनिट, फिजियोथैरेपी यूनिट, आडियोलाजी यूनिट, व्यावसायिक प्रशिक्षण यूनिट, काउन्सिलिंग एवं सोशल एजुकेशनल यूनिट के माध्यम से पुनर्वास सेवायें एवं सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कुल रू0 37.15 लाख के प्राविधान के सापेक्ष माह जनवरी 2024 तक कुल रू0 29.89 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 37.15 लाख का प्राविधान है।

## 14. बचपन डे केयर सेन्टर्स की स्थापना एवं संचालन:—

सर्व शिक्षा अभियान से प्राप्त करायी गयी धनराशि से जनपद लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी (प्रत्येक 60 बच्चों की क्षमता) आगरा, सहारनपुर, झॉंसी, बरेली, गौतमबुद्धनगर (प्रत्येक 30 बच्चों हेतु) में बचपन डे केयर सेन्टर संचालित किये गये थे। वर्ष 2008-09 तक इन केन्द्रों का संचालन सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया गया था, तदोपरान्त वर्ष 2009-10 से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा उक्त योजना को विभागीय बजट से संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। बचपन डे केयर सेन्टर में मानदेय पर समन्वयक तथा विशेष अध्यापकों की व्यवस्था है तथा इसके अतिरिक्त प्रत्येक सेन्टर पर 1-1 फिजियोथिरेपिस्ट, साइकोकाउन्सलर, स्पीच ट्रेनर/विशेषज्ञों की सेवायें प्रति विजिट के आधार पर तथा अटेन्डेन्ट, आया, सफाई कर्मी, चौकीदार की सेवायें मानदेय के आधार पर ली जा रही हैं। इन सेन्टर्स में 03 से 07 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों को शिक्षण/प्रशिक्षण के साथ-साथ अवागमन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराते हुये सामान्य विद्यालयों में शिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। स्थापित बचपन डे केयर सेन्टर्स के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल ₹0 1257.20 लाख का प्राविधान के सापेक्ष माह जनवरी, 2024 तक कुल ₹0 876.39 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹0 1367.70 लाख का प्राविधान है। वर्तमान में 18 जनपदों में केन्द्र संचालित है। भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश के 07 महत्वाकांक्षी जनपदों में नवीन बचपन डे केयर सेन्टर स्थापना की प्रक्रिया प्रचलन में है।

## 15 डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (लखनऊ) :—

देश में प्रथम बार विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों को बाधारहित वातावरण में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 'डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना की गयी है। वर्तमान में विशेष शिक्षा संकाय में दृष्टिबाधितार्थ, श्रवणबाधितार्थ एवं मानसिक मन्दितार्थ बी0एड0 एवं डी0एड0 विशेष शिक्षा पाठ्यक्रमों के संचालन के साथ-साथ बी0ए0, एम0ए0, बी0काम0, एम0काम0, एम0एस0डबल्यू, एम0बी0ए0 तथा विधि संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में कुल 09 संकाय के अन्तर्गत 29 विभागों के बनने का प्राविधान है जिसमें वर्तमान में 21 विभाग क्रियाशील है। विश्वविद्यालय में प्रत्येक पाठ्यक्रम में विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीट आरक्षित है जिसमें से पुनः 50 प्रतिशत अर्थात् 25 प्रतिशत सीटे केवल दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु वेतन एवं अन्य आकस्मिक मदों के अन्तर्गत ₹0 4132.52 लाख के सापेक्ष माह जनवरी 2024 ₹0 2316.64 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में वेतन एवं अन्य आकस्मिक मदों के अन्तर्गत ₹0 4151.12 लाख का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय संचालन हेतु ₹0 400.00 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

## 16. विभिन्न श्रेणी के निराश्रित दिव्यांग व्यक्तियों हेतु भरण पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन)

प्रदेश में दृष्टिबाधित, मूक बधिर, मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों, जिनका जीवनयापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का ऐसा परिश्रम कर सकते हैं, के भरण-पोषण हेतु दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत शासन के पत्रांक 914/65-2-2017-21-96 दिनांक 06 जून 2017 द्वारा पेंशन वृद्धि ₹0 300/- प्रति माह प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर ₹0 500/- प्रति माह की दर से अनुदान दिया जा रहा है। 01.12.2021 से 500/- प्रति माह प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर 1000/- प्रतिमाह की दर से अनुदान दिया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में सामान्य पक्ष के दिव्यांगजन हेतु कुल ₹0 1,10,000.00 लाख तथा एस0सी0पी0 पक्ष में ₹0 2000.00 लाख एवं टी0एस0पी0 हेतु ₹0 4.69 लाख के प्राविधान के सापेक्ष क्रमशः माह जनवरी 2024 तक

रु0 91412.95 लाख एवं एस0सी0पी0 हेतु रु. 1559.85 लाख एवं टी0एस0पी0 पक्ष में रु0 3.51 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय 2024–25 वर्ष में सामान्य पक्ष के लाभार्थियों हेतु रु0 120000.00 लाख, एस0सी0पी0 में रु0 2000.00 लाख व टी0एस0पी0 में रु0 4.69 लाख का प्राविधान है।

## 17. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण क्रय हेतु अनुदान योजना

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को अधिकतम रु0 10000/– तक का अनुदान कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण हेतु दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु सामान्य पक्ष के दिव्यांगजनों हेतु रु0 3500.00 लाख व एस0सी0पी0 में रु0 240.00 लाख का प्राविधान के सापेक्ष माह जनवरी, 2024 तक रु0 682.21 लाख व एस0सी0पी0 में रु. 46.95 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में सामान्य पक्ष के लाभार्थियों हेतु रु0 3500.00 लाख व एस0सी0पी0 में रु0 240.00 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

## 18. दिव्यांग व्यक्तियों से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना:—

इस योजना के अन्तर्गत दम्पतियों में युवती के दिव्यांग होने की दशा में रु0 20000/– तथा युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रु0 35,000/– तथा दम्पति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रु0 15,000/– की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में रु0 264.00 लाख का प्राविधान के सापेक्ष माह जनवरी 2024 तक रु0 132.70 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में रु0 264.00 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

## 19. दिव्यांगजन को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को प्रतिपूर्ति :-

राज्य सरकार द्वारा इस योजना की नियमावली के अनुसार पात्र दिव्यांगजन एवं उसके सहायक को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में उ0प्र0स0परि0नि0 को प्रतिपूर्ति हेतु कुल रु0 4000.00 लाख का प्राविधान उपलब्ध था। उपर्युक्त प्राविधान के सापेक्ष उ0प्र0स0परि0नि0 को प्रतिपूर्ति हेतु माह जनवरी 2024 तक रूपया 2959.91 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में लम्बित अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु कुल रूपया 1000.00 लाख उ0प्र0स0परि0नि0 को प्रतिपूर्ति हेतु रूपया 3000.00 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

## 20. दक्ष दिव्यांग व्यक्तियों व उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार—

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु रु0 12.50 लाख का प्राविधान के सापेक्ष माह जनवरी 2024 तक रु0 5.27 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में रु0 12.50 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

## 21. स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को सहायता:—

दिव्यांगजन सशक्तीकरण के कार्य में लगी स्वैच्छिक संस्थाओं/संगठनों को दिव्यांगता का कारण, बचाव, उपचार, पुनर्वासन एवं दिव्यांगजन विकास विभाग की योजनाओं तथा अधिनियम के प्राविधानों का प्रचार-प्रसार करने हेतु राज्य

सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹0 35.00 लाख का प्राविधान किया गया। जिसके सापेक्ष माह जनवरी 2024 तक ₹. 28.98 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में रूपया 35.00 लाख का प्राविधान है।

## 22. उ0प्र0 में मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन तथा मानसिक चिकित्सालय/आश्रय गृह से उपचारित एवं ठीक हुए बेघर व्यक्तियों के लिए हॉफ वे होम/लॉग स्टे होम के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता –

उ0प्र0 में मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन तथा मानसिक चिकित्सालय/आश्रय गृह से उपचारित एवं ठीक हुए बेघर व्यक्तियों के लिए हॉफ वे होम/लॉग स्टे होम के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल प्राविधानिक धनराशि ₹0 1000.00 लाख के सापेक्ष माह जनवरी, 2024 तक ₹0 469.57048 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹0 1100.00 लाख का प्राविधान है।

## 23. दृष्टिबाधितार्थ अध्यापको हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना:—

राजकीय दृष्टिबाधित इन्टर कालेज, मोहान रोड, लखनऊ के परिसर में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर राजकीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून के समन्वय से दृष्टिबाधितार्थ अध्यापन डिप्लोमा प्रदान किए जाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र पर आने वाले व्यय को वहन करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु कुल ₹0 4.00 लाख का प्राविधान के सापेक्ष माह जनवरी 2024 तक ₹0 0.83 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹0 4.00 लाख का प्राविधान है।

## 24. ब्रेल प्रेस का संचालन :—

प्रदेश में दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं के पठन-पाठन हेतु ब्रेललिपि में पुस्तकों को प्रकाशित करने हेतु ब्रेल प्रेस का संचालन किया जा रहा है। यह ब्रेल प्रेस उच्च शिक्षा में अध्ययनरत दृष्टिबाधित छात्रों के छात्रावास निशातगंज, लखनऊ में स्थापित की गयी है। इस ब्रेल प्रेस में विभाग द्वारा संचालित दृष्टिबाधित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के पठन पाठन हेतु सम्बन्धित बिषयों की पुस्तकों को ब्रेल लिपि में प्रकाशित कराया जा रहा है। ब्रेल प्रेस के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹0 34.31 लाख के प्राविधान के सापेक्ष माह जनवरी 2024 तक ₹0 16.00 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹0 36.03 लाख का प्राविधान है।

## 25. कुष्ठावस्था पेंशन योजना :—

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजन हेतु संचालित दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन को भी पेंशन दिये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए ऐसे सभी दिव्यांगजन पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो तथा बी0पी0एल0 सीमा के अन्तर्गत आते हो एवं शासन द्वारा संचालित अन्य कोई पेंशन न प्राप्त कर रहे हो, को प्रदेश से सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (चाहे दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो) मान्य होगा को 01.12.2021 से अनुदान की राशि को 2,500 प्रतिमाह प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर ₹0 3000 / – प्रति माह प्रति व्यक्ति कर दिया गया है। इस योजना की नियमावली प्राख्यापित कर दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु कुल ₹0 4200.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष माह जनवरी 2024 तक ₹. 3160.05 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹0 4200.00 लाख का प्राविधान है।

## 26. डिसलेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाईपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण।

डिसलेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाईपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम जैसी छिपी हुई दिव्यांगता से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षित करने, उनके अभिभावकों को इस परिपेक्ष्य में जागरूक करने एवं समाज में जागरूकता का सृजन कर संवेदन/संवेदनशीलता उत्पन्न करने की एक नवीन एवं महत्वपूर्ण योजना विभाग द्वारा प्रारम्भ की गयी है।

उक्त योजना अन्तर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹0 30.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹0 30.00 लाख का प्राविधान है।

## 27. दिव्यांगजन के लिये बाधारहित व्यवस्था हेतु सिपडा-1995 का कार्यान्वयन

प्रदेश के विभिन्न जन उपयोगी सार्वजनिक कार्यालय/भवनों को चरणबद्ध ढंग से दिव्यांगजन हेतु सुगम्य बनाने एवं वहाँ बाधारहित वातावरण सृजित कर दिव्यांगजन को आसान पहुँच हेतु सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सिपडा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ₹0 300.00 लाख पूँजीगत पक्ष में प्राविधान किया गया है।

## 28. सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत चिन्हित शासकीय एवं जनउपयोगी भवनों का एक्सेस आडिट तथा विभिन्न विभागों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना

सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत चिन्हित शासकीय एवं जनउपयोगी भवनों का एक्सेस आडिट तथा विभिन्न विभागों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाये जाने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ₹0 400.00 लाख पूँजीगत पक्ष में तथा राजस्व पक्ष में ₹0 100.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

## 29. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल की योजना-

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के प्रतिपूर्ति प्रदेश के समस्त प्रति लोकसभा क्षेत्र में 100-100 दिव्यांगजन को मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल निःशुल्क उपलब्ध करायी जानी है। योजनान्तर्गत ₹. 100.00 लाख का बजट का प्राविधान वर्ष 2023-24 में किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु ₹. 200.00 लाख का प्राविधान है।

## 30. दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि का गठन -

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा 88(1) एवं उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली-2017 की धारा 33(1) में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि का गठन किया गया है।

दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि के अन्तर्गत प्रतिवर्ष ₹0 500.00 लाख की धनराशि का प्राविधान है। राज्यनिधि मद में वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 तक 05 वित्तीय वर्ष में कुल ₹. 3500.00 लाख की धनराशि प्राप्त है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद वाराणसी को 04 दिवसीय टी-20 नेशनल दिव्यांग क्रिकेट कार्यक्रम के आयोजन हेतु ₹. 10.00 लाख की धनराशि व प्रदेश में 10 जनपदों में हाफ व होम की स्थापना संचालन हेतु ₹. 166.88 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। वर्तमान में राज्य निधि के नाम से संचालित बैंक खाता के ब्याज सहित कुल ₹. 2465.32 लाख की धनराशि अवशेष है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹0 500.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

# वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग के महत्वपूर्ण लक्ष्य

1. दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत रू0 110000.00 लाख की प्राविधानित धनराशि से लगभग 11,00,000 दिव्यांगजन को पेंशन दिए जाने का लक्ष्य है।
2. कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन को रू0 4200.00 लाख की प्राविधानित धनराशि से लगभग 11500 दिव्यांगजन को पेंशन दिए जाने का लक्ष्य है।
3. कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण अनुदान योजना में रू0 3740.00 लाख के प्राविधान से लगभग 62300 दिव्यांगजन को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
4. विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार देने हेतु रू0 264.00 लाख की धनराशि से लगभग 1131 दम्पतियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
5. दुकान निर्माण/संचालन योजना के अन्तर्गत रू0 106.04 लाख की धनराशि से लगभग 1060 दिव्यांगजनो को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
6. प्रदेश के विभिन्न जन उपयोगी सार्वजनिक कार्यालय/भवनों को चरणबद्ध ढंग से दिव्यांगजन हेतु सुगम्य बनाने एवं वहाँ बाधारहित वातावरण सृजित कर दिव्यांगजन को आसान पहुँच हेतु सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सिपडा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु रू0 300.00 लाख पूजीगत पक्ष धनराशि का प्राविधान किया गया है।
7. सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत चिन्हित शासकीय एवं जनउपयोगी भवनों का एक्सेस आडिट तथा विभिन्न विभागों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाये जाने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु रू0 400.00 लाख पूजीगत पक्ष में तथा राजस्व पक्ष में रू0 700.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।
8. मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु कुल रू0 1100.00 लाख का प्राविधान किया गया है।
9. डिस्लेकिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाइपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु रू0 30.00 लाख का प्राविधान किया गया है।
10. सभी मण्डल मुख्यालयों पर समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना किये जाने के उद्देश्य से समेकित विद्यालयों की स्थापना किये जाने हेतु कुल रू0 3560.00 लाख का प्राविधानित है।
11. संकेत मूकबधिर बालक/बालिकाओं के लिये आवासीय राजकीय विद्यालयों के भवन निर्माण एवं साज सज्जा हेतु कुल रू0 35.00 लाख का प्राविधान है।
12. डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में अतिरिक्त एकेडेमिक ब्लॉक-3 के लिए वृहद निर्माण कार्य हेतु रू0 100.00 लाख का प्राविधान है।
13. दिव्यांगजनो के लिए प्रदेश के प्रत्येक लोक सभा क्षेत्र में दिव्यांगजनो को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राई साइकिल उपलब्ध कराये जाने हेतु रू0 200.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

## वर्ष 2024-25 में प्राविधानित धनराशि का विवरण

राजस्व पक्ष	धनराशि—(लाख रू०) में
1 01—केन्द्र प्रायोजित योजनाये 0101—यूनीक डिसएबलिटी आईडेन्टिटी कार्ड—प्रोजेक्ट— 42 अन्य व्यय (के०100प्रतिशत)	10.00
2 03—मुख्यालय / मण्डल / जिला कार्यालयों का अधिष्ठान (2235 02 101 03 00)	3933.34
3 04—विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिए आश्रित कर्मशालाए व प्रशिक्षण केन्द्र (2235 02 101 04 00)	168.08
4 05—शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग / श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिए सहायता (2235 02 101 05 00)	3500.00
5 06—मानसिक मंदित दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र	334.31
6 07—नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान	115000.00
7 08—दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों एवं उनके सेवा योजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार	12.50
8 09—दिव्यांगों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु उ०प्र० रा०स०प०नि० को प्रतिपूर्ति	3000.00
9 10—दिव्यांगों को उ०प्र० रा० प० नि० की बसों में निःशुल्क यात्रा व्यय के अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति	1100.00
10 11—मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता	1000.00
11 12—डिस्लेक्सिया व अटेंशन डैफिसिटी एण्ड हाइपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण	30.00
12 13— शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण योजना	26.51
13 14—विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिए राजकीय विद्यालयों / छात्रावासों का संचालन	4788.50
14 15—दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय की स्थापना	167.27
15 16—समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों का संचालन	751.17
16 17—राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय मोहान रोड के अन्तर्गत दृष्टिबाधितार्थ अध्यापको हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	4.00
17 18—'सिपडा' योजनान्तर्गत सार्वजनिक / विभागीय भवनों में दिव्यांगजन हेतु बाधारहित वातावरण तथा विभागीय वेब साइटों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना	

18	19—"सुगम्य भारत अभियान" योजनान्तर्गत चिन्हित शासकीय एवं जन उपयोगी भवनों का एक्सेस ऑडिट तथा विभिन्न विभागों की वेबसाइटों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना	100.00
19	20—शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को मोट्राइज्ड ट्राई—साइकिल	200.00
20	21—पालनहार योजना	50.00
21	22—लखनऊ में 'ब्रेल प्रेस' की स्थापना (2235 02 101 22 00)	36.03
22	23—उ०प्र० जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट	400.00
23	24—कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र का संचालन	300.00
24	25—कौशल विकास केन्द्र की स्थापना (2235 02 101 25 00)	31.51
25	26—अमरावती पुरुषोत्तम बहुउददेशीय दिव्यांगजन विकास संस्थान, वाराणसी (2235 02 101 26 00)	54.60
26	27—मानसिक मन्दित बच्चों / दिव्यांगजन हेतु मनोविकास केन्द्र	37.15
27	28—दिव्यांगता पर राज्य अनुसंधान केन्द्र का संचालन	150.00
28	30—डा० शकुन्तला मिश्रा, उ०प्र० दिव्यांग विश्वविद्यालय लखनऊ	4151.12
29	31—बचपन, नर्सरी स्कूलों की स्थापना	1367.70
30	32—कुष्ठावस्था दिव्यांग भरण—पोषण अनुदान	4200.00
31	34—विशेष विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक विशेष शिक्षा	85.00
32	35—दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि का गठन (2235 02 101 35 00)	500.00
33	37—दिव्यांगता पर गठित सलाहकार बोर्ड की बैठक से सम्बन्धित व्यय हेतु	2.35
34	38—जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डी०डी०आर०सी०) की स्थापना / संचालन	400.00
35	107-03—विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों एवं संस्थाओं को सहायता	35.00
36	800-03—शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों द्वारा दिव्यांग से शादी करने पर प्रोत्साहन	264.00
37	800-04—असहाय दिव्यांग व्यक्तियों को बीमारी के इलाज हेतु अनुदान	800.00
<b>योग राजस्व पक्ष</b>		<b>146990.14</b>

# वर्ष 2024-25 में पूजीगत पक्ष में प्राविधानित धनराशि का विवरण

धनराशि—(लाख रू०) में

1	0101—दिव्यांगजन के लिए बाधारहित व्यवस्था हेतु "सिपडा - 1995" का कार्यान्वयन (के.100/रा.0-के.) 24—वृहद निर्माण कार्य	300.00
2	04—"सुगम्य भारत अभियान" योजनान्तर्गत सरकारी कार्यालयों एवं जन उपयोगी भवनों को चिन्हित कर बाधा रहित बनाया जाना (के.100/रा.0-के.) 24—वृहद निर्माण कार्य	400.00
3	05—समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना 24—वृहद निर्माण कार्य 26—मशीनों एवं सज्जा / उपकरण और संयंत्र	2860.00 700.70
	<b>योग(05)</b>	<b>3560.70</b>
4	06—संकेत राजकीय मूक, बधिर विद्यालय, गोरखपुर में छात्रावास भवन तथा आवासीय भवनों का निर्माण 24—वृहद निर्माण कार्य 26—मशीनों एवं सज्जा / उपकरण और संयंत्र	00.00 35.00
	<b>योग(06)</b>	<b>35.00</b>
5	07—संकेत राजकीय श्रवणबाधित बालिका इन्टर कालेज, गोरखपुर 24—वृहद निर्माण कार्य 26—मशीनों एवं सज्जा / उपकरण और संयंत्र	00.00 50.00
	<b>योग(07)</b>	<b>50.00</b>
6	08—शासकीय एवं जनउपयोगी भवनों में दिव्यांगजन हेतु बाधारहित वातावरण का सृजन 24—वृहद निर्माण कार्य	700.00
7	09—राजकीय मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों का भवन निर्माण 24—वृहद निर्माण कार्य 26 मशीन और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	780.00 350.00
	<b>योग(09)</b>	<b>1130.00</b>
8.	10 ब्रेल प्रेस लखनऊ 26. मशीने और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	300.00
9	11—स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इन्टर कालेज की स्थापना 24—वृहद निर्माण कार्य 26—मशीनों एवं सज्जा / उपकरण और संयंत्र	40.00 130.00
	<b>योग(11)</b>	<b>170.00</b>
10	14—स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक / बालिका विद्यालय 24—वृहद निर्माण कार्य	325.00
11	15—मानसिक मंदित बालक / बालिकाओं के लिए "ममता" विद्यालय 24—वृहद निर्माण कार्य 26—मशीनों एवं सज्जा / उपकरण और संयंत्र	350.00 250.00
	<b>योग(15)</b>	<b>600.00</b>
12.	16 संकेत राजकीय मूक बधिर कालेज गोरखपुर 24 वृहद निर्माण कार्य	300.00
13.	17 समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों में स्टाफ हेतु आवास का निर्माण 18—बचपन डे केयर सेंटर्स का भवन निर्माण 24—वृहद निर्माण कार्य	500.00 2000.00
14.	19 डॉ० शकुन्तला मिश्रा उ०प्र० दिव्यांगजन विश्वविद्यालय	600.00 1.00

15	24—वृहद निर्माण कार्य 23—डॉ0 शकुन्तला मिश्रा उ0प्र0 दिव्यांग विश्वविद्यालय, लखनऊ 2301— विशिष्ट स्टेडियम का निर्माण 26—मशीनों एवं सज्जा / उपकरण और संयंत्र 2302—कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना 24—वृहत् निर्माण कार्य 26—मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र 2303—अतिरिक्त एकेडेमिक ब्लॉक—3 24—वृहत् निर्माण कार्य	1.00 1.00 100.00 1.00 30.00 31.00
16	25—स्पर्श राजकीय बालक इण्टर कालेज, गोरखपुर 24—वृहद निर्माण कार्य 26—मशीनों एवं सज्जा / उपकरण और संयंत्र	0.00
<b>योग (25)</b>		30.00
17	26—प्रयास शारीरिक रूप से अक्षम बालकों का राजकीय विद्यालय 24—वृहद निर्माण कार्य 26—मशीनों एवं सज्जा / उपकरण और संयंत्र	30.00 0.00
<b>योग (26)</b>		124.00
18	28—जनपद सोनभद्र में संकेत मूक, बधिर बालको के लिए राजकीय इण्टर कालेज 24—वृहद निर्माण कार्य 26—मशीनों एवं सज्जा / उपकरण और संयंत्र	124.00 124.00
<b>योग(28)</b>		0.00
19	29—जनपद कुशीनगर में संकेत मूक, बधिर बालिकाओं के लिए राजकीय इण्टर कालेज 26—मशीनों एवं सज्जा / उपकरण और संयंत्र	25.00 25.00
20	32—ममता मानसिक मंदित बालिका विद्यालय, लखनऊ 24—वृहद निर्माण कार्य 26—मशीनों एवं सज्जा / उपकरण और संयंत्र	800.00
<b>योग (32)</b>		25.00
21	33—मूक बधिर छात्र / छात्राओं हेतु संकेत जूनियर हाई स्कूल की स्थापना निर्माण कार्य 24—वृहद निर्माण कार्य	25.00
22	34 मुख्यालय मण्डल जिला कार्यालयों का अधिष्ठान 14 मोटर गाडियों का क्रय	2500.00 0.00
35—जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट		<b>14462.00</b>
24—वृहत् निर्माण कार्य		79.53
26—मशीनें और सज्जा		
<b>योग 4235</b>		<b>79.53</b>

**1 03—शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वास दुकान निर्माण अनुदान संख्या 82**

**(टी0एस0पी0)**

**योग 4235—(लाख रू0) में**

1	05—नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान 20—सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	4.69
<b>योग 81</b>		<b>4.69</b>

**अनुदान संख्या 83**

**(एस0सी0पी0)**

1	03—नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण—पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना) 20—सहायता अनुदान सामान्य (गैर—वेतन)	2000.00
2	08—शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग / श्रवण सहायक यंत्र क्रय हेतु सहायता 20—सहायता अनुदान सामान्य (गैर—वेतन)	240.00
<b>योग 83</b>		<b>2240.00</b>

**समग्र योग**

**163776.36**

**तालिका-क**  
**वित्तीय आवश्यकताओं कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण**

अनुदान संख्या 79

धनराशि लाख रु० में

क्रम संख्या	मद	वास्तविक व्यय 2022-23	आय-व्ययक अनुमान 2023-24	पुनरीक्षित अनुमान 2023-24	आय-व्ययक अनुमान 2024-25
1	2	3	4	5	6
1	01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ 0101-यूनीक डिस्पैचलिटी आईडेंटिटी कार्ड-प्रोजेक्ट-42 अन्य व्यय (के0100प्रतिशत)	0.00	10.00	10.00	10.00
2	03-मुख्यालय/मण्डल/जिला कार्यालयों का अधिष्ठान (2235 02 101 03 00)	2627.11	3453.44	3453.44	3933.34
3	04-विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिए आश्रित कर्मशालाएँ व प्रशिक्षण केन्द्र (2235 02 101 04 00)	99.06	163.53	163.53	168.08
4	05-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिए सहायता (2235 02 101 05 00)	3228.60	3500.00	3500.00	3500.00
5	06-मानसिक मंदित विकलांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र (2235 02 101 06 00)	165.50	221.67	221.67	334.31
6	07-नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान (2235 02 101 07 00)	118410.70	110000.00	110000.00	115000.00
7	08-दक्ष विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सेवा योजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार (2235 02 101 08 00)	14.63	12.50	12.50	12.50
8	09-विकलांगों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु उ0प्र0 रा0स0प0नि0 को प्रतिपूर्ति (2235 02 101 09 00)	2491.02	3000.00	3000.00	3000.00
9	10-विकलांगों को उ0प्र0 रा0 प0 नि0 की बसों में निःशुल्क यात्रा व्यय के अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति (2235 02 101 10 00)	728.73	1000.00	1000.00	1000.00
10	11-मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित विकलांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता (2235 02 101 11 00)	960.30	1000.00	1000.00	1100.00
11	12-डिस्लेक्सिया व अटेंशन डैफिसिटी एण्ड हाइपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण (2235 02 101 12 00)	19.99	30.00	30.00	30.00
12	13- शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण योजना (2235 02 101 13 00)	25.20	26.51	26.51	26.51
13	14-विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिए राजकीय विद्यालयों/छात्रावासों का संचालन (2235 02 101 14 00)	2755.59	4363.40	4363.40	4788.50
14	15-विकलांगजन आयुक्त कार्यालय की स्थापना (2235 02 101 15 00)	113.21	160.90	160.90	167.27
15	16-समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों का संचालन (2235 02 101 16 00)	106.80	726.17	726.17	751.17
16	17-राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय मोहान रोड के अन्तर्गत दृष्टिबाधितार्थ अध्यापको हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना (2235 02 101 17 00)	3.99	4.00	4.00	4.00
17	18-'सिपडा' योजनान्तर्गत सार्वजनिक/विभागीय भवनों में दिव्यांगजन हेतु बाधारहित वातावरण तथा विभागीय वेब साइटों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना (2235 02 101 18 00)	0.00	0.01	0.01	0.00
18	19-'सुगम्य भारत अभियान' योजनान्तर्गत चिन्हित शासकीय एवं जन उपयोगी भवनों का एक्सेस ऑडिट तथा विभिन्न विभागों की वेबसाइटों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना (2235 02 101 19 00)	7.05	60.00	60.00	100.00
19	20-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को मोटोइज्ड ट्राई-साइकिल (2235 02 101 20 00)	2736.54	100.00	100.00	200.00
20	21-पालनहार योजना (2235 02 101 21 00)	0.00	100.00	100.00	50.00
21	22-लखनऊ में 'ब्रेल प्रेस' की स्थापना (2235 02 101 22 00)	36.33	34.31	34.31	36.03
22	23-उ0प्र0 जगतगुरु राममठ्टाचार्य दिव्यांगविश्वविद्यालय, चित्रकूट (2235 02 101 23 00)	50.00	200.00	300.00	400.00
23	24-कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र का संचालन (2235 02 101 24 00)	300.00	400.00	400.00	300.00
24	25-कौशल विकास केन्द्र की स्थापना (2235 02 101 25 00)	32.41	31.01	31.01	31.51
25	26-अनरावती पुरुषोत्तम बहुउददेशीय विकलांग विकास संस्थान, वाराणसी (2235 02 101 26 00)	33.01	49.60	49.60	54.60
26	27-मानसिक मन्दित बच्चों/ विकलांगजन हेतु मनोविकास केन्द्र (2235 02 101 27 00)	36.80	37.15	37.15	37.15
27	28-दिव्यांगता पर राज्य अनुसाधन केन्द्र का संचालन-(2235 02 101 28 00)	0.00	100.00	100.00	150.00
28	30-डॉ0 शकुन्तला मिश्रा, उ0प्र0 विकलांग विश्वविद्यालय लखनऊ (2235 02 101 30 00)	3375.22	4132.52	4132.52	4151.12
29	31-बचपन, नर्सरी स्कूलों की स्थापना (2235 02 101 31 00)	931.03	1257.20	1257.20	1367.70
30	32-कुछावस्था विकलांग भरण-पोषण अनुदान (2235 02 101 32 00)	4082.67	4200.00	4200.00	4200.00

क्रम संख्या	मद	वास्तविक व्यय 2022-23	आय-व्ययक अनुमान 2023-24	पुनरीक्षित अनुमान 2023-24	आय-व्ययक अनुमान 2024-25
1	2	3	4	5	6
31	34-विशेष विद्यालयों में विकलांग विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक विशेष शिक्षा (2235 02 101 34 00)	84.98	85.00	85.00	85.00
32	35-दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि का गठन (2235 02 101 35 00)	500.00	500.00	500.00	500.00
33	37-दिव्यांगता पर गठित सलाहकार बोर्ड की बैठक से सम्बन्धित व्यय हेतु (2235 02 101 37 00)	1.36	2.35	2.35	2.35
34	38-जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र(डी0डी0आर0सी0) की स्थापना/ संचालन (2235 02 101 38 00)	0.00	400.00	400.00	400.00
35	107-03-विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों एवं संस्थाओं को सहायता	29.97	35.00	35.00	35.00
36	800-03-शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों द्वारा विकलांग से शादी करने पर प्रोत्साहन	110.00	264.00	264.00	264.00
37	800-04-असहाय विकलांग व्यक्तियों को बीमारी के इलाज हेतु अनुदान	620.99	750.00	750.00	800.00
	<b>योग 2235</b>	<b>144718.77</b>	<b>140410.27</b>	<b>140510.27</b>	<b>146990.14</b>

क्रम संख्या	मद	वास्तविक व्यय 2022-23	आय-व्ययक अनुमान 2023-24	पुनरीक्षित अनुमान 2023-24	आय-व्ययक अनुमान 2024-25
1	2	3	4	5	6
<b>4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय</b>					
1	0101-विकलांगजन के लिए बाधारहित व्यवस्था हेतु "सिपडा- 1995" का कार्यान्वयन (के.100/रा.0-के.) 24-वृहद निर्माण कार्य	425.77	300.00	300.00	300.00
2	04-"सुगम्य भारत अभियान" योजनात्तर्गत सरकारी कार्यालयों एवं जन उपयोगी भवनों को चिन्हित कर बाधा रहित बनाया जाना (के.100/रा.0-के.) 24-वृहद निर्माण कार्य	0.00	400.00	400.00	400.00
3	05-समोक्त विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना 24-वृहद निर्माण कार्य	1989.69	2060.00	2060.00	2860.00
	26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	486.29	863.70	863.70	700.00
	<b>योग(05)</b>	<b>2475.98</b>	<b>2923.70</b>	<b>2923.70</b>	<b>3560.00</b>
4	06-संकेत राजकीय मूक, बधिर विद्यालय, गोरखपुर में छात्रावास भवन तथा आवासीय भवनों का निर्माण 24-वृहद निर्माण कार्य	27.13	52.60	52.60	0.00
	26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	124.00	124.00	35.00
	<b>योग(06)</b>	<b>27.13</b>	<b>176.60</b>	<b>176.60</b>	<b>35.00</b>
5	07-संकेत राजकीय श्रवणबाधित बालिका इन्टर कालेज, गोरखपुर 24-वृहद निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00
	26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	124.00	124.00	50.00
	<b>योग(07)</b>	<b>0.00</b>	<b>124.00</b>	<b>124.00</b>	<b>50.00</b>
6	08-शासकीय एवं जनउपयोगी भवनों में दिव्यांगन हेतु बाधारहित वातावरण का सृजन 24-वृहद निर्माण कार्य	810.29	500.00	900.00	700.00
7	09-राजकीय मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों का भवन निर्माण 24-वृहद निर्माण कार्य	781.57	600.00	600.00	780.00
	26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	780.00	780.00	350.00
	<b>योग(09)</b>	<b>781.57</b>	<b>1380.00</b>	<b>1380.00</b>	<b>1130.00</b>
8	10-ब्रेल प्रेस लखनऊ 24-वृहद निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00
	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	100.00	100.00	30.00
	<b>योग(10)</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>30.00</b>
9	11-स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इन्टर कालेज की स्थापना 24-वृहद निर्माण कार्य	31.28	100.00	100.00	40.00
	26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	130.00	130.00	130.00
	<b>योग(11)</b>	<b>31.28</b>	<b>230.00</b>	<b>230.00</b>	<b>170.00</b>
10	14-स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक/बालिका विद्यालय 24-वृहद निर्माण कार्य	662.75	300.00	300.00	325.00
11	15-मानसिक मंदित बालक/बालिकाओं के लिए "ममता" विद्यालय 24-वृहद निर्माण कार्य	1037.31	1050.00	1050.00	350.00
	26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	625.00	625.00	250.00
	<b>योग(15)</b>	<b>1037.31</b>	<b>1675.00</b>	<b>1675.00</b>	<b>600.00</b>
12	16-संकेत राजकीय मूक बधिर कालेज, गोरखपुर 24-वृहद निर्माण कार्य	50.62	56.69	256.69	300.00
13	17-समोक्त विशेष माध्यमिक विद्यालयों में स्टाफ हेतु आवास का निर्माण 24-वृहद निर्माण कार्य	1594.57	2400.00	2800.00	2000.00
14	18-बचपन डे केयर सेंटर्स का भवन निर्माण 24-वृहद निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.00	500.00
15	19-डॉ० शकुन्तला मिश्रा उ०प्र० विकलांग विश्वविद्यालय, लखनऊ 24-वृहद निर्माण कार्य / अनुसंधान	0.00	400.00	400.00	600.00
16	23-डॉ० शकुन्तला मिश्रा उ०प्र० विकलांग विश्वविद्यालय, लखनऊ 2301-विशिष्ट स्टेडियम का निर्माण 24-वृहद निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00
	26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	340.62	200.00	200.00	1.00
17	23-डॉ० शकुन्तला मिश्रा उ०प्र० विकलांग विश्वविद्यालय, लखनऊ 2302 कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना 24-वृहद निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.00	1.00
	26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	0.00	0.00	1.00
18	23-डॉ० शकुन्तला मिश्रा उ०प्र० विकलांग विश्वविद्यालय, लखनऊ 2303 अतिरिक्त एकेडेमिक ब्लॉक-3-24-वृहद निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>योग(2301, 2302 एवं 2303)</b>		<b>340.62</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>103.00</b>

क्रम संख्या	मद	वास्तविक व्यय 2022-23	आय-व्ययक अनुमान 2023-24	पुनरीक्षित अनुमान 2023-24	आय-व्ययक अनुमान 2024-25
1	2	3	4	5	6
19	25-स्पर्श राजकीय बालक इण्टर कालेज, गोरखपुर 24-वृहद निर्माण कार्य	331.81	231.66	231.66	1.00
	26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	130.00	130.00	30.00
	<b>योग(25)</b>	<b>331.81</b>	<b>361.66</b>	<b>361.66</b>	<b>31.00</b>
20	26-प्रयास शारीरिक रूप से अक्षम बालकों का राजकीय विद्यालय 24-वृहद निर्माण कार्य	80.09	90.00	90.00	0.00
	26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	130.00	130.00	30.00
	<b>योग(26)</b>	<b>80.09</b>	<b>220.00</b>	<b>220.00</b>	<b>30.00</b>
21	28-जनपद सोनमद्र में संकेत मूक, बधिर बालकों के लिए राजकीय इण्टर कालेज 24-वृहद निर्माण कार्य	50.00	91.72	91.72	0.00
	26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	124.00	124.00	124.00
	<b>योग(28)</b>	<b>50.00</b>	<b>215.72</b>	<b>215.72</b>	<b>124.00</b>
22	29-जनपद कुशीनगर में संकेत मूक, बधिर बालिकाओं के लिए राजकीय इण्टर कालेज 24-वृहद निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00
	26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	124.00	124.00	124.00
	<b>योग(29)</b>	<b>0.00</b>	<b>124.00</b>	<b>124.00</b>	<b>124.00</b>
23	32-ममता मानसिक मंदित बालिका विद्यालय, लखनऊ 24-वृहद निर्माण कार्य	0.00	160.00	160.00	0.00
	26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	75.00	75.00	25.00
	<b>योग(32)</b>	<b>0.00</b>	<b>235.00</b>	<b>235.00</b>	<b>25.00</b>
24	33-मूक छात्र/छात्राओं हेतु संकेत जूनियर हाई-स्कूल की स्थापना 24-वृहद निर्माण कार्य	400.00	600.00	600.00	800.00
25	34-मुख्यालय/मण्डल/जिला कार्यालयों का अधिष्ठान 14-मोटर गाड़ियों का क्रय	0.00	25.00	25.00	25.00
26	35-जगदगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट 24-वृहद निर्माण कार्य	0.00	0.00	200.00	2500.00
	26-मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	0.00	200.00	0.00
	<b>योग(35)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>2500.00</b>
<b>योग 4235</b>		<b>9099.77</b>	<b>12947.37</b>	<b>14347.37</b>	<b>14462.00</b>
1	6235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज				
	02-समाज कल्याण				
	101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण				
	03-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुर्नवास दुकान निर्माण	79.50	79.53	79.53	79.53
	30-निवेश/ऋण				
<b>योग 6235</b>		<b>79.50</b>	<b>79.53</b>	<b>79.53</b>	<b>79.53</b>
<b>अनुदान संख्या 81 लेखाशीर्षक 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण 796 जनजातिय क्षेत्र उप योजना (2235-02-796-03-20)</b>					
क्रम संख्या	मद	वास्तविक व्यय 2021-22	आय-व्ययक अनुमान 2022-23	पुनरीक्षित अनुमान 2022-23	आय-व्ययक अनुमान 2023-24
1	2	3	4	5	6
1	03-निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हेतु अनुदान 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	0.00	0.00	0.00	0.00
2	05-नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	2.00	4.69	4.69	4.69
<b>योग 81</b>		<b>2.00</b>	<b>4.69</b>	<b>4.69</b>	<b>4.69</b>
<b>अनुदान संख्या 83</b>					
क्रम संख्या	मद	वास्तविक व्यय 2021-22	आय-व्ययक अनुमान 2022-23	पुनरीक्षित अनुमान 2022-23	आय-व्ययक अनुमान 2023-24
1	2	3	4	5	6
1	03-नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना) 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	900.00	2000.00	2000.00	2000.00
2	08-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/श्रवण सहायक यंत्र क्रय हेतु सहायता 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	223.04	240.00	240.00	240.00
<b>योग 83</b>		<b>1123.04</b>	<b>2240.00</b>	<b>2240.00</b>	<b>2240.00</b>

उद्देश्यवार वर्गीकरण

धनराशि लाख रु० में

अनुदान संख्या 79

क्र०सं०	मद का नाम	वास्तविक व्यय 2022-23	आय-व्ययक अनुमान 2023-24	पुनरीक्षित अनुमान 2023-24	आय-व्ययक अनुमान 2024-25
1	2	3	4	5	6
1	01-वेतन	2729.83	4264.66	4264.66	4424.92
2	02-मजदूरी	39.59	98.70	98.70	101.70
3	03-मंहगाई भत्ता	995.05	1919.09	1919.09	2433.71
4	04-यात्रा भत्ता	8.51	17.95	17.95	17.95
5	05-स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	8.31	8.60	8.60	8.60
6	06-अन्य भत्ता	5.25	66.37	66.37	66.38
7	07-मानदेय	33.88	35.30	35.30	35.35
8	08-कार्यालय व्यय	66.73	67.40	67.40	65.40
9	09-विद्युत देय	145.18	317.70	317.70	344.70
10	10-जलकर/जलप्रभार	1.07	8.24	8.24	10.24
11	11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	59.41	49.40	49.40	55.80
12	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	84.22	98.15	98.15	111.65
13	13-टेलीफोन पर व्यय	13.67	20.50	20.50	20.50
14	14-मोटर गाड़ियों का कय	0.00	25.00	25.00	25.00
15	15-मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	209.80	223.00	223.00	249.00
16	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5.74	70.25	70.25	66.25
17	17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	23.02	25.75	25.75	23.60
18	18-प्रकाशन	5.76	5.95	5.95	9.80
19	19-विज्ञापन बिक्री और विज्ञापन व्यय	0.00	1.00	1.00	1.00
20	20-सहायता अनुदान (गैर वेतन)	137416.43	128193.69	128193.69	133293.69
21	21-छात्रवृत्ति और छात्रवेतन	188.70	269.00	269.00	369.00
22	22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता	1.73	1.80	1.80	2.00
23	24-वृहद निर्माण कार्य	8272.86	9392.67	10592.67	12557.00
24	26-मशीन साज सज्जा एवं उपकरण	834.75	3541.70	3741.70	1889.50
25	29-अनुरक्षण	168.82	228.00	228.00	236.00
26	30-निवेश/ऋण	79.50	79.53	79.53	79.53
27	31-सहायता अनुदान-सामान्य वेतन	833.34	2732.52	2832.52	2951.12
28	39-औषधि रसायन	6.91	11.70	11.70	13.70
29	41-भोजन व्यय	64.52	104.50	104.50	165.00
30	42-अन्य व्यय	1583.83	2363.34	2363.34	2559.83
31	43-सामग्री सम्पूर्ति	38.41	68.50	68.50	75.50
32	44-प्रशिक्षण व्यय	3.87	103.55	103.55	104.55
33	45-अवकाश यात्रा भत्ता	0.06	4.15	4.15	4.15
34	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	66.70	73.60	73.60	78.60
35	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	34.39	37.90	37.90	37.90
36	49-चिकित्सा व्यय	71.56	42.00	42.00	66.00
37	51-वर्दी व्यय	0.01	0.90	0.90	0.90
38	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00	0.00	0.00
39	53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	0.00	0.00	0.00	0.00
40	55-मकान किराया भत्ता	150.83	317.30	317.30	368.34
41	56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00	0.00	0.00
42	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	770.87	792.50	792.50	852.50
	<b>योग</b>	<b>155023.09</b>	<b>155681.86</b>	<b>157181.86</b>	<b>163776.36</b>

## वित्तीय संसाधनों के स्रोत

धनराशि लाख रु० में

क्रम संख्या	मद	मुख्य लेखा शीर्षक	वास्तविक व्यय 2022-23	आय-व्ययक अनुमान 2023-24	पुनरीक्षित अनुमान 2023-24	आय-व्ययक अनुमान 2024-25
			4	5	6	7
1	2	3				
1	79	2235	144718.77	140410.27	140510.27	146990.14
2	79	4235	9099.77	12947.37	14347.37	14462.00
3	79	6235	79.50	79.53	79.53	79.53
4	83	2235	1123.04	2240.00	2240.00	2240.00
5	81	2235	2.00	4.69	4.69	4.69
	<b>कुल योग</b>		<b>155023.08</b>	<b>155681.86</b>	<b>157181.86</b>	<b>163776.36</b>

## दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० में स्वीकृत/कार्यरत पदों का विवरण

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5
1	निदेशक	1	1	0
2	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी	1	1	0
3	संयुक्त निदेशक (03 विभागीय 01 पी०सी०एस० संवर्ग)	4	4	0
4	उप निदेशक	20	20	0
5	वित्त एवं लेखाधिकारी	1	0	1
6	जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी	75	46	29
7	प्रधानाचार्य, स्पर्श इण्टर कालेज	6	5	1
8	प्रधानाचार्य, समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय	4	0	4
9	प्रधानाचार्य, स्पर्श हाईस्कूल	1	0	1
10	प्रधानाचार्य, मूक बधिर हाईस्कूल	2	1	1
11	प्रधानाचार्य, मूक बधिर जूनियर हाईस्कूल	3	3	0
12	प्रधानाचार्य, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों का विद्यालय	2	2	0
13	प्रवक्ता, राजकीय दृष्टिबाधित इण्टर कालेज	64	38	26
14	प्रवक्ता, समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय	63	0	63
15	दृष्टिबाधित विद्यालयों के प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (एल०टी० ग्रेड)	61	31	30
16	दृष्टिबाधित विद्यालयों के प्रशिक्षित अण्डर ग्रेजुएट (जे०टी०सी०) अध्यापक	35	25	10
17	दृष्टिबाधित विद्यालयों के प्रशिक्षित शिल्प (संगीत) अध्यापक (जे०टी०सी० ग्रेड)	22	14	8
18	समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (एल०टी० ग्रेड)	58	0	58
19	समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के विशेष अध्यापक	22	0	22
20	प्रवक्ता, संकेत (मूक बधिर विद्यालय) बालक/बालिका, राजकीय इण्टर कालेज	27	0	27
21	मूक बधिर विद्यालयों के प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (एल०टी० ग्रेड)	33	12	21
22	मूक बधिर विद्यालयों के (जे०टी०सी० ग्रेड)	24	0	24
23	शारीरिक रूप से अक्षम विद्यालयों के प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (एल०टी० ग्रेड)	4	2	2
24	शारीरिक रूप से अक्षम विद्यालयों के प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (जे०टी० सी० ग्रेड)	4	0	4
25	शारीरिक रूप से अक्षम विद्यालयों के प्रशिक्षित अण्डर ग्रेजुएट अध्यापक (एच०टी०सी० ग्रेड)	4	0	4
26	मानसिक रूप से अविकसित विद्यालयों के प्रशिक्षित स्नातक एल०टी० ग्रेड	4	3	1
27	मानसिक रूप से अविकसित विद्यालयों के जे०टी०सी० ग्रेड	2	0	2
28	प्रबन्धक (ब्रेल प्रेस)	1	0	1
29	प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
30	प्रधान सहायक	2	1	1
31	वरिष्ठ सहायक	113	70	43
32	कनिष्ठ सहायक	143	94	49
33	मनोवैज्ञानिक	2	0	2

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5
34	वैयक्तिक सहायक श्रेणी-1	4	4	0
35	वैयक्तिक सहायक श्रेणी-2	9	2	7
36	आशुलिपिक ग्रेड-4	12	0	12
37	सहायक लेखाधिकारी	2	2	0
38	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	1	0	1
39	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	1	0	1
40	व्यवसायिक चिकित्सा विज्ञानी	2	0	2
41	लेखाकार	64	11	53
42	सहायक लेखाकार	23	1	22
43	अधीक्षक	19	0	19
44	फिजियोथेरेपिस्ट (ममता विद्यालयों हेतु)	2	0	2
45	स्पीच थेरेपिस्ट (ममता विद्यालयों हेतु)	2	0	2
46	स्पीच थेरेपिस्ट (संकेत विद्यालयों हेतु)	8	0	8
47	सांकेतिक भाषा इण्टरप्रेटर	35	0	35
48	कम्प्यूटर प्रशिक्षक (स्पर्श विद्यालयों हेतु)	9	0	9
49	कम्प्यूटर प्रशिक्षक (संकेत विद्यालयों हेतु)	5	0	5
50	कम्प्यूटर प्रशिक्षक (अस्थि बाधित विद्यालयों हेतु)	2	0	2
51	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए	1	0	1
52	प्रूफ रीडर	1	0	1
53	मोबिलिटी अध्यापक स्पर्श विद्यालयों हेतु	9	0	9
54	पुस्तकालयाध्यक्ष	11	0	11
55	सहायक लाइब्रेरियन स्पर्श विद्यालयों हेतु / विभागीय विद्यालय समेकित	8	0	8
56	छात्रावास वार्डन, संकेत विद्यालयों हेतु / स्पर्श विद्यालय	6	0	6
57	छात्रावास अधीक्षक	8	1	7
58	नर्स / कम्पाउंडर / हास्टल वार्डन	20	1	19
59	कम्प्यूटर प्रशिक्षक (समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों हेतु)	7	0	7
60	मोबिलिटी प्रशिक्षक (समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों हेतु)	7	0	7
61	छात्रावास अधीक्षक (महिला / पुरुष) (समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों हेतु)	11	0	11
62	शीघ्र पहचान इकाई प्रशिक्षक (समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों हेतु)	15	0	15
63	व्यवसायिक प्रशिक्षण इकाई प्रशिक्षक (समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों हेतु)	11	0	11
64	ब्रेल मुद्रण तकनीशियन (समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों हेतु)	7	0	7
65	व्यायाम शिक्षक	16	0	16
66	स्टोर कीपर	1	0	1
67	सेल्समैन	1	1	0

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	
1	2	3	4	5	
69	प्रयोगशाला सहायक	16	1	15	
70	वाहन चालक (विशेष श्रेणी, ग्रेड-4, ग्रेड-3, ग्रेड-2)	14	6	8	
71	प्रोजेक्ट आपरेटर	1	0	1	
72	प्रशिक्षक गेड-2	1	1	0	
73	प्रशिक्षक गेड-3	3	3	0	
		योग:-	1185	407	778
73	चतुर्थ श्रेणी	226	46	180	
		योग:-	226	46	172
		महा योग:-	1411	453	958

# डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

## विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकवृन्द/अधिकारीगण/ कर्मचारीगण का विवरण

माह जनवरी, 2021 तक

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	नियुक्ति का प्रकार			अन्य विवरण
					प्रतिनियुक्ति	नियमित	संविदा	
1	कुलपति	01	01	00	00	01	00	
2	वित्त अधिकारी	01	00	01	00	00	00	अतिरिक्त प्रभार
3	कुलसचिव	01	01	00	00	01	00	
4	परीक्षा नियंत्रक	01	01	00	01	00	00	
5	प्रोफेसर	33	10	23	00	10	00	
6	रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर	64	22	42	00	22	00	
7	असिस्टेंट प्रोफेसर	139	47	92	00	47	00	
8	विशेष शिक्षक	06	04	02	00	04	00	
9	उप कुलसचिव	01	01	00	00	01	00	
10	सहायक कुलसचिव	02	02	00	00	02	00	
11	सिस्टम एनालिस्ट	01	01	00	00	01	00	
12	प्रोग्रामर ग्रेड-1	02	00	02	00	00	00	
13	प्रोग्रामर ग्रेड-2	01	00	01	00	00	00	
14	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	02	02	00	02	00	00	
15	प्रशासनिक अधिकारी	05	04	01	04	00	00	
16	व्यवस्थाधिकारी	01	00	01	00	00	00	
17	जन सम्पर्क अधिकारी	02	00	02	00	00	00	
18	प्लेसमेंट अधिकारी	01	00	01	00	00	00	
19	सम्परीक्षा अधिकारी	01	00	01	00	00	00	
20	विधि अधिकारी	01	01	00	00	01	00	
21	क्रीडा अधिकारी	01	00	01	00	00	00	
22	सहायक विधि अधिकारी	02	02	00	00	02	00	
23	जन सम्पर्क सहायक सह स्वागती	02	00	02	00	00	00	
24	क्रीडा सहायक	01	00	01	00	00	00	
25	प्रधान सहायक	09	00	09	00	00	00	
26	वरिष्ठ सहायक	54	22	32	00	22	00	
27	सम्परीक्षक	04	00	04	00	00	00	
28	सहायक लेखाकार	12	04	08	00	04	00	वर्तमान में लेखाकार
29	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	02	00	02	00	00	00	
30	व्यैक्तिक सहायक ग्रेड -1	02	00	02	00	00	00	
31	व्यैक्तिक सहायक ग्रेड -2	09	06	03	00	00	00	
32	आशुलिपिक	11	00	11	00	06	00	
33	सहायक स्टोर कीपर	02	00	02	00	00	00	
34	आर्ट एवं क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर	04	00	04	00	00	00	
35	संगतकर्ता	02	00	02	00	00	00	
36	मोबिलिटी ट्रेनर	01	01	00	00	01	00	
37	मनोवैज्ञानिक	02	01	01	00	01	00	
38	स्पीचथेरेपिस्ट	01	01	00	00	01	00	
39	विधि सहायक	04	00	04	00	00	00	
40	कनिष्ठ सहायक	113	05	108	00	05	00	
41	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-2	02	00	02	00	00	00	
42	प्रयोगशाला सहायक	11	00	11	00	00	00	
43	डिमान्सट्रेटर	11	00	11	00	00	00	
44	चिकित्सालय अधीक्षक	01	01	00	01	00	00	
45	नेत्र चिकित्सक	01	00	01	00	00	00	
46	मनोचिकित्सक	01	00	01	00	00	00	

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	नियुक्ति का प्रकार			अन्य विवरण
					प्रतिनियुक्ति	नियमित	संविदा	
47	अस्थि रोग विशेषज्ञ	01	00	01	00	00	00	
48	कान-नाक-गला विशेषज्ञ	01	00	01	00	00	00	
49	फिजियोथेरेपिस्ट	02	01	01	00	01	00	
50	फार्मासिस्ट	01	00	01	00	00	00	
51	ओ.टी.टेक्नीशियन	02	00	02	00	00	00	
52	अपर वित्त अधिकारी	02	00	02	00	00	00	
53	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	00	01	00	00	00	
54	सूचीकार	01	00	01	00	00	00	
55	सहायक अभियन्ता (सिविल)	01	00	01	00	00	00	
56	अवर अभियन्ता सिविल/विद्युत	02	00	02	00	00	00	
57	तकनीकी सहायक विद्युत/सिविल	02	00	02	00	00	00	
58	वाचक	02	00	02	00	00	00	
59	वाहन चालक	04	04	00	00	04	00	
60	चतुर्थ श्रेणी	20	20	00	00	20	00	
61	वार्ड ब्वाय	01	01	00	00	01	00	
62	अटेंडेंट	01	01	00	00	01	00	
63	इन्स्ट्रक्टर इन सर्जिकल सूज एण्ड लेदर वर्क	01	00	01	00	00	00	
64	स्पीच पैथोलोजिस्ट/ आडियोलोजिस्ट ग्रेड-1	01	00	01	00	00	00	
65	स्पीच पैथोलोजिस्ट/ आडियोलोजिस्ट ग्रेड-2	01	00	01	00	00	00	
66	ईयर मोल्ड टेक्नियन	01	00	01	00	00	00	
67	हियरिंग एण्ड टेक्नीशियन	01	00	01	00	00	00	
68	वर्कशाप मैनेजर	01	00	01	00	00	00	
69	असिस्टेंट वर्कशाप मैनेजर	01	00	01	00	00	00	
70	इलेक्ट्रिक इंजीनियर आर0डी सेक्शन)	01	00	01	00	00	00	
71	सीनियर प्रोथेटिस्ट	01	00	01	00	00	00	
72	सीनियर आर्थोटिस्ट	01	00	01	00	00	00	
73	प्रार्थोटिस्ट	01	00	01	00	00	00	
74	आर्थोटिस्ट	01	00	01	00	00	00	
75	रिहैबिलिटेशन आफिसर	01	00	01	00	00	00	
76	सीनियर प्रोथेटिस्ट टेक्नीशियन	01	00	01	00	00	00	
77	सीनियर आर्थोटिस्ट टेक्नीशियन	01	00	01	00	00	00	
78	सीनियर लेदर टेक्नियन	01	00	01	00	00	00	
79	जूनियर प्रार्थेटिस्ट टेक्नियन	01	00	01	00	00	00	
80	जूनियर आर्थोटिस्ट टेक्नियन	01	00	01	00	00	00	
81	जूनियर लेदर टेक्नियन	01	00	01	00	00	00	
82	शू-मेकर	01	00	01	00	00	00	
83	काब्लर	01	00	01	00	00	00	
84	काउंसलर	02	00	02	00	00	00	
	<b>Total</b>	<b>598</b>	<b>167</b>	<b>431</b>	<b>08</b>	<b>159</b>	<b>00</b>	<b>0</b>

## 30 प्र० जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकुट में कार्यरत अधिकारीगण का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	नियुक्ति का प्रकार			अन्य विवरण
					प्रतिनियुक्ति	नियमित	संविदा	
1.	कुलपति	01	01	00	00	01	00	
2.	वित्त अधिकारी	01	00	01	00	00	00	अतिरिक्त प्रभार
3.	कुलसचिव	01	01	00	00	01	00	
	योग	03	02	01	00	02	00	

## राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उ०प्र० में स्वीकृत/कार्यरत पदों का विवरण

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1	राज्य आयुक्त	01	01	00	सीधी भर्ती
2	उपायुक्त (चिकित्सा संवर्ग)	01	01	00	अतिरिक्त प्रभार
3	उपायुक्त, (संविदा के आधार पर)	04	01	03	संविदा पर
3	विधि अधिकारी	01	01	—	सीधी भर्ती
4	सहा० विधि अधिकारी	01	—	01	पदोन्नति का पद
5	वैयक्तिक सहायक	01	—	01	पदोन्नति/सेवा स्थानान्तरण का पद
6	वरि० सहायक	02	01	01	पदोन्नति का पद
7	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	02	—	02	पदोन्नति का पद
8	आशुलिपिक ग्रेड-2	03	02	01	सीधी भर्ती
9	कनि० सहायक	(04 सीधी भर्ती)	04	01	01 पद चतुर्थ श्रेणी के पद से पदोन्नति हेतु आरक्षित वर्ष वही रिक्त
10	ब्रेललिपि रीडर	01	—	01	सीधी भर्ती
11	वाहन चालक	01	01	—	सीधी भर्ती
12	चपरासी	05	05	00	01 पद स्थाई एवं 04 पद अस्थाई आउट सोर्सिंग
	सफाई कर्मचारी	01	01	—	आउट सोर्सिंग
<b>योग</b>		<b>29</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	

## प्रशासनिक व्यवस्था एवं विभागीय संगठन का चार्ट

